सुरक्षा सहित सेवा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

निगमित कार्यालयः राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली – 110003

Pamm/AAI/08

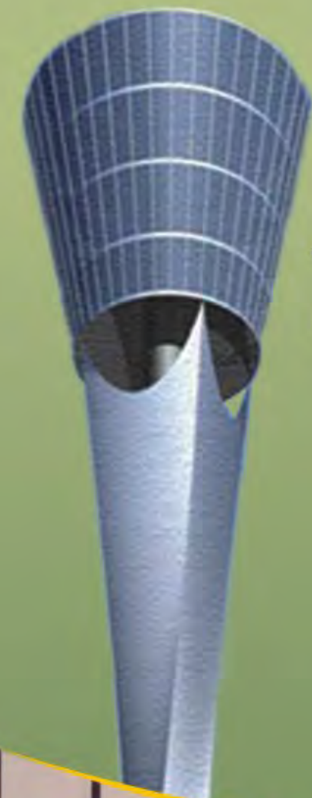

13वीं वार्षिक रिपोर्ट

2007 - 08

35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों का विकास

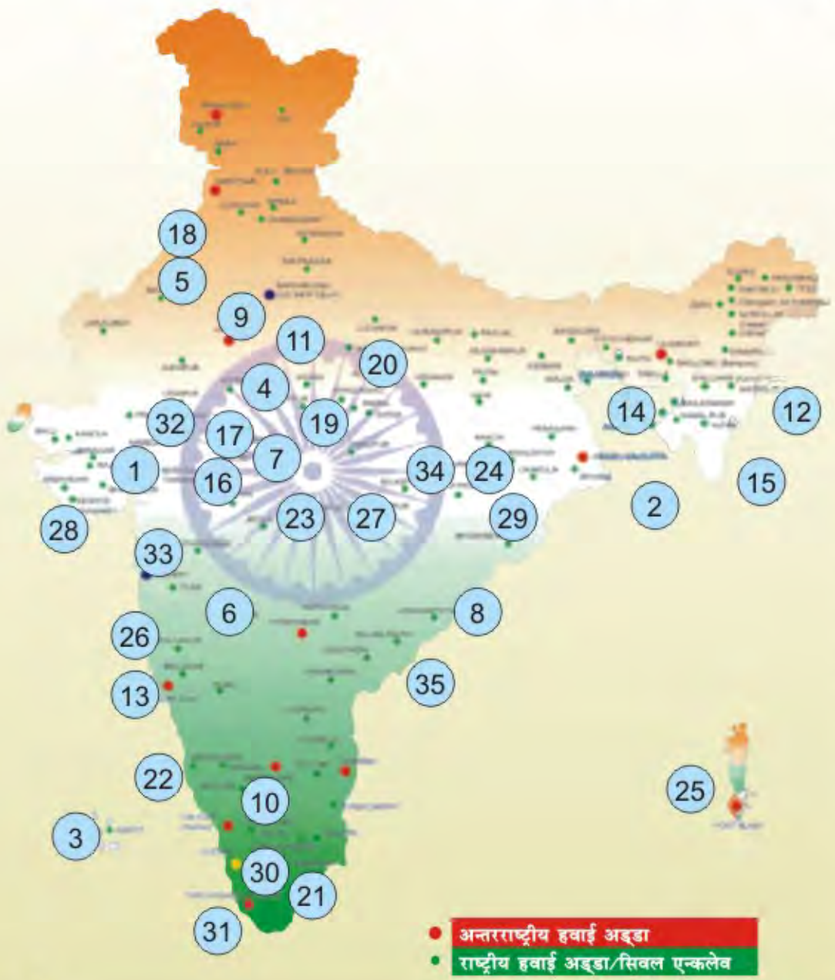

हवाई अड्डों की सूची

1. अहमदाबाद
2. अगरतला
3. अगाती
4. आगरा
5. अमृतसर
6. औरंगाबाद
7. भोपाल
8. भुवनेश्वर
9. चन्डीगढ़
10. कोयम्बटूर
11. देहरादून
12. दीमापुर
13. गोवा
14. गुवाहाटी
15. इम्फाल
16. इंदौर
17. जयपुर
18. जम्मू
19. खजुराहो
20. लखनऊ
21. मदुरई
22. मंगलौर
23. नागपुर
24. पटना
25. पोर्ट ब्लेयर
26. पुणे
27. रायपुर
28. राजकोट
29. रांची
30. त्रीची
31. त्रिवेन्द्रम
32. उदयपुर
33. वड़ोदरा
34. वाराणसी
35. विशाखापट्टनम

उद्देश्य

"राष्ट्र के आर्थिक विकास और समृद्धि में योगदान करते हुए ग्राहक की सम्पूर्ण संतुष्टि के लिए अत्याधुनिक अवसंरचना उपलब्ध कराते हुए विमान यातायात सेवाओं और हवाई अड्डा प्रबंधन में संरक्षा एवं गुणवत्ता के उच्चतम स्तर प्राप्त करना"

सुरक्षा सहित सेवा

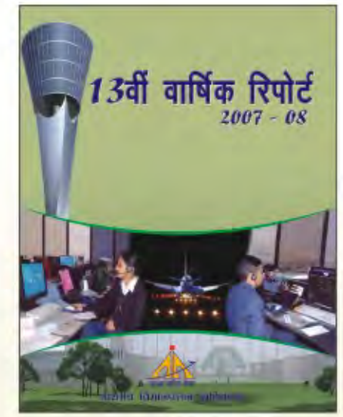

विषय सूची

भा वि प्रा बोर्ड के सदस्य	2
सदस्य रिपोर्ट	3
वित्तीय स्थिति	16
कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि	18
तुलन पत्र	20
लाभ–हानि लेखा	22
संलग्नक, लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियाँ एवं लेखा नीतियां	26
नियंत्रक एवं महालेखाकार की लेखापरीक्षा रिपोर्ट	49

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड के सदस्य

डा. के. रामलिंगम
अध्यक्ष

श्री रघु मेनन
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय
(10.06.2008 तक)

श्रीमती विलासनी रामाचन्द्रन
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार
नागर विमानन मंत्रालय
(11.06.2008 से)

श्री के. गोहेन
महानिदेशक, नागर विमानन
एवं पदेन सदस्य

श्री एस. आर. मेहरा
सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन)

श्री के. एन. श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव
नागर विमानन मंत्रालय

श्री पी. सेठ
सदस्य (प्रचालन)

श्री एच. एस. बेन्स
सदस्य (कार्मिक व प्रशासन)

श्री सतीश सी. छतवाल
सदस्य (वित्त)

श्री वी. पी. अग्रवाल
सदस्य (योजना)

श्री एम. सी. किशोर
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

सदस्य रिपोर्ट 2007-2008

प्रस्तावना

वर्ष 2007–08 हवाई अड्डा क्षेत्र में आए अनेक परिवर्तनों का साक्षी रहा है। इस समय विमानन क्षेत्र पर, प्रमुखतः ए टी एफ की बढ़ी हुई दरों तथा विमानों में अधिक क्षमता की उपलब्धता के कारण प्रचालन लागतों पर भारी दबाव है। घरेलू उड़ानें घाटे में चल रही हैं। वे अपने प्रचालनों में कटौती कर रही हैं तथा अपने कार्य क्षेत्र को भी सीमित कर रही हैं। आशा है कि विमान सेवाएं निकट भविष्य में इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर लेंगी।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डे चिह्नित किए हैं जिनका सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मॉडल के माध्यम से शहरी ओर का विकास किया जाएगा। आगामी वर्षों में नागर विमानन क्षेत्र में संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने विभिन्न गैर–मैट्रो हवाई अड्डों पर टर्मिनल क्षमता, धावन पथ क्षमता, एप्रन क्षमता के साथ–साथ विमान पार्किंग के लिए पार्किंग बे की संख्या बढ़ाने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं। गैर–मैट्रो हवाई अड्डों पर अवसंरचना के विकास के कारण एयरलाइंसों ने इन गैर मैट्रो हवाई अड्डों से अपने प्रचालनों को बढ़ाया है तथा इन गैर मैट्रो अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों से और अधिक अन्तरराष्ट्रीय उड़ानें आरंभ हो गई हैं। इसके अतिरिक्त, पी पी पी मॉडल के तहत दो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों, हैदराबाद के निकट शमशाबाद तथा बंगलौर के निकट देवनहल्ली को प्रचालनात्मक बनाया गया है। बंगलौर तथा हैदराबाद पर दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को प्रारम्भ करने के साथ–साथ भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इन हवाई अड्डों पर सेवाओं के स्तर में सुधार हेतु भी भरसक प्रयास करेगा। ये प्रयास देश में अवसंरचना की क्षमता में सुधार लाएंगे।

सरकार ने कोलकाता के एन एस सी बी आई तथा चेन्नई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का निर्णय लिया है। ये कार्य सितम्बर 2008 के अंत तक / अक्तूबर 2008 के आरंभ तक सौंपे जाने की संभावना है । इन दोनों परियोजनाओं के वर्ष 2010 तक सम्पन्न होने की आशा है।

इसके अतिरिक्त 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों पर घरेलू और अन्तरराष्ट्रीय दोनों, पर कार्य की प्रगति भी भलीभांति हो रही है। इनमें से कुछ हवाई अड्डों पर कार्य मार्च 2009 तक पूरा होने की संभावना है तथा शेष हवाई अड्डों का कार्य मार्च 2010 तक पूरा होने की उम्मीद है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने तकनीकी सूचना के आदान प्रदान तथा अमरीका में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कार्मिकों के प्रशिक्षण हेतु अमरीका के एफ ए ए के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, सुप्रवाही विमान यातायात के आधुनिकीकरण पर भी कार्य कर रहा है जिसके लिए उसने भारतीय वायु क्षेत्र में विमान यातायात सुप्रवाह प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध कराने हेतु कार्य आदेश दे दिया है। यह परियोजना पूर्ण होने में दो वर्ष का समय लगेगा।

सी एन एस / ए टी एम सुविधाओं के उन्नयन का कार्य भी प्रगति पर है। भारतीय हवाई अड्डों पर सी एन एस / ए टी एम सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्राधिकरण ने भारत सरकार द्वारा नियुक्त आधिकारिक समितियों की संस्तुतियों के अनुरुप एक रोड मैप भी तैयार किया है। इसरो, बैंगलौर के सहयोग से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित गगन परियोजना ने भी सतत प्रगति की है।

मुख्य विशेषताओं पर एक दृष्टि

- प्राधिकरण ने एक बार फिर वर्ष के दौरान राजस्व आय, कर पश्चात लाभ, लाभांश भुगतान, संभाले गए यात्रियों, संभाले गए विमान संचलन तथा माल ढुलाई के संबंध में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं।
- भारत सरकार ने रु. 1,942.37 करोड़ की लागत से कोलकाता में नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास व आधुनिकीकरण हेतु अनुमोदन प्रदान किया है।
- भारत सरकार ने रु. 1,808 करोड़ की लागत से चेन्नई में चेन्नई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के विकास हेतु भी अनुमोदन प्रदान किया है।
- वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने पिछले वर्ष के रु. 1,040.11 करोड़ की

तुलना में 90% की वृद्धि के साथ इस वर्ष अब तक का सबसे अधिक रु. 1,980.23 का पूंजीगत व्यय किया है।

- पीपीपी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में हैदराबाद के निकट शमशाबाद में तथा कर्नाटक में बैंगलोर के निकट देवनहल्ली में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे प्रचालन हेतु आरंभ किए गए।
- पेरिशेबल कार्गो के लिए एनएससीबीआई हवाई अड्डा, कोलकाता में एक अत्याधुनिक केन्द्र आरंभ किया गया।
- इसरो के साथ सहयोग से बैंगलोर में गगन परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।
- स्टेट ट्रेड टाइम्स द्वारा आयोजित दूसरी अन्तरराष्ट्रीय प्रदर्शनी ''एयर कार्गो इंडिया 2008'' में चेन्नई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने ''इमर्जिंग कार्गो एयरपोर्ट आफ द इयर'' पुरस्कार जीता।
- त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे ने आई एस ओ 14001 : 2004 के अधीन ''एयरफील्ड एन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कम्प्लायंस सर्टिफिकेट'' प्राप्त किया। त्रिवेन्द्रम अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के ज्वाइंट ऐक्रेडिटेशन सिस्टम से यह प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाला दक्षिण भारत का दूसरा व देश का चौथा हवाई अड्डा है।
- उदयपुर व कुल्लू हवाई अड्डों पर नए टर्मिनल भवन आरंभ किए गए।
- लखनऊ हवाई अड्डे पर एक नया तकनीकी ब्लाक सह नियंत्रण टावर आरंभ किया गया।
- देहरादून पर नया धावन पथ आरंभ किया गया।
- पन्तनगर पर विस्तारित धावन पथ प्रचालन में लाया गया।
- हैदराबाद के निकट शमशाबाद में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के आरंभ होने से हैदराबाद पर वर्तमान बेगमपेट हवाई अड्डे को नागरिक प्रचालन हेतु बंद कर दिया गया है।
- इसी तरह बैंगलोर के निकट देवनहल्ली में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के आरंभ होने से बैंगलोर पर एच ए एल हवाई अड्डा, जहां से भा. वि. प्रा. एक सिविल एन्क्लेव का अनुरक्षण करता था, नागरिक प्रचालन हेतु बंद कर दिया गया है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष 2007–08 के दौरान भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के वित्तीय निष्पादन की विशेषताएं नीचे दी गई हैं :

(करोड़ रुपए में)

विवरण	2007–08	2006–07
क. राजस्व	4,289.21	3,726.23
ख. व्यय	2,549.84	2,196.90
ग. कर पूर्व लाभ	1,739.37	1,529.33
घ. कर के लिए प्रावधान	776.07	775.99
च. आस्थगित कर देयता / (परिसम्पति)	(118.57)	(106.51)
छ. कर पश्चात लाभ	1,081.87	859.85
ज. प्रस्तावित लाभांश *	216.38	172.00
झ. लाभांश पर कर *	36.77	27.45
ट. आरक्षित के लिए विनियोजन		
1. विशिष्ट आरक्षित	331.49	309.16
2. सामान्य आरक्षित	497.23	351.24
ठ. आन्तरिक संसाधन	1,365.77	1,126.34

* अंतरिम लाभांश सहित

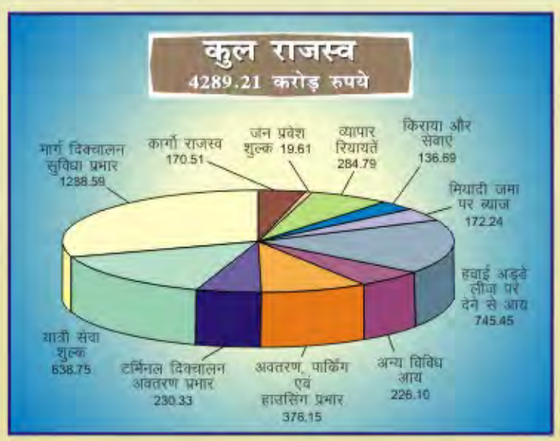

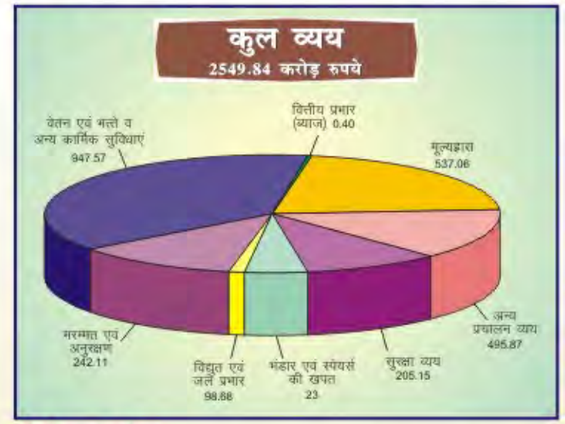

पूंजीगत ढांचा

(करोड़ रुपए में)

विवरण	31 मार्च 2008 को	31 मार्च 2007 को
क) सरकारी पूंजी	501.13	463.63
ख) आरक्षित व अधिशेष	5,299.86	4,381.76
ग) दीर्घावधि ऋण	60.85	65.28
घ) शुद्ध निवेश	5,409.21	4,542.99
ङ) नियोजित पूंजी	3,606.29	3,627.69
च) कार्यशील पूंजी	832.04	1,467.18

सरकार को भुगतान

वर्ष के दौरान, भारत सरकार को कर को छोड़कर निम्नलिखित भुगतान किए गए :

(करोड़ रुपए में)

लाभांश	
(वर्ष 2007–08 के लिए 100 करोड़ रुपए के अंतरिम लाभांश सहित)	212.00
गारंटी शुल्क	0.49
सरकारी बजटीय सहायता ऋण पर ब्याज	0.30
पूर्वभुगतान / सरकारी ऋणों का भुगतान	15.00
योग	**227.79**

अंतरिम लाभांश

भा. वि. प्रा. ने भारत सरकार को वर्ष 2007–08 के लिए 100 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

सरकार की ओर से भुगतान

वर्ष के दौरान, भा. वि. प्रा. ने सरकार से बजटीय सहायता के रुप में 55 करोड़ रु. और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हवाई अड्डों के विकास व उन्नयन के लिए अनुदान के रुप में पूर्वोत्तर परिषद से 57.05 करोड़ रु. प्राप्त किए।

विदेशी विनिमय

वर्ष 2007–08 के दौरान पूंजीगत सामग्री की खरीद, अतिरिक्त पुर्जे, विदेशी यात्रा, परामर्शी शुल्क,विदेशी ऋणों के पुनर्भुगतान आदि पर 353.95 करोड रु. खर्च किए गए। भा. वि. प्रा. द्वारा विदेशी मुद्रा का मानित अर्जन लगभग 912 करोड़ रु. था ।

पूंजीगत व्यय

2007–08 में भा. वि. प्रा. द्वारा पूंजीगत व्यय 1,980.23 करोड रु. था, जो वर्ष 2006–07 में 1040.11 करोड रु. की तुलना में अब तक का अधिकतम है और विगत वर्ष से 90% अधिक है । यह भा. वि. प्रा. द्वारा उठाए गए कदमों जैसे क्षेत्रीय व निगमित मुख्यालय स्तर पर किए जा रहे कार्यो की प्रगति की क्लोज मॉनीटरिंग के कारण ही संभव हुआ है।

हवाई अड्डों की लीजिंग से आय

वर्ष के दौरान जे.वी.सी. से राजस्व के भाग के रुप में लगभग 735.45 करोड़ रु. (डी आई ए पी एल 402.72 करोड़ रु. व एम आई ए पी एल – 332.73 करोड रु.) प्राप्त हुए।

सदस्यों के उत्तरदायित्व का वक्तव्य

यह प्रमाणित किया जाता है कि

(1) वार्षिक लेखों को तैयार करने में मानकों के प्रत्यन्ता से संबंधित पर्याप्त स्पष्टीकरण सहित स्वीकार्य लेखा मानकों का अनुपालन किया गया था।

(2) सदस्यों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन किया तथा उनको दृढ़तापूर्वक लागू किया और उनके द्वारा लिए गए निर्णय एवं अनुमान तर्कसंगत व विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष 2007–08

की समाप्ति तक प्राधिकरण के कार्यों की स्थिति तथा इस अवधि में प्राधिकरण के लाभ को सही एवं निष्पक्षता से दर्शाया जा सके।

(3) सदस्यों ने पर्याप्त लेखों रिकार्डों के रखरखाव के लिए उचित व प्रचुर सावधानी बरती।

(4) सदस्यों ने ऑन गोइंग कंसर्न बेसिस पर वार्षिक लेखों को तैयार किया है।

दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों की पुनर्संरचना

प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास करार (ओ एम डी ए) के संबंध में दोनों संयुक्त उद्यम कम्पनियों नामतः दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए एल) तथा मुबंई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए एल) से अनिवार्य पूंजीगत कार्यों तथा मास्टर प्लान के अनुसार मुख्य योजना के अधीन विकास कार्यों को निष्पादित करना अपेक्षित था।

भा. वि. प्रा. ने डी आई ए एल को अतिरिक्त इक्विटी के रुप में 130 करोड़ रु. का अंशदान दिया है तथा डी आई ए एल को वर्ष के दौरान 143 करोड़ रु. का अग्रिम अंशदान दिया है।

वर्ष 2007–08 के दौरान संभाला गया यातायात

विवरण	यूनिट	अंतरराष्ट्रीय	अंतर्देशीय	कुल
विमान संचलन	संख्या में	248538	1059091	1307629
यात्री	संख्या में	29818150	87067597	116885747
माल ढुलाई	टनों में	1146745	568233	1714978

वर्ष के दौरान पूरे किए गए प्रमुख विमानक्षेत्र कार्य

वर्ष के दौरान, पूरे किए गए प्रमुख विमानक्षेत्र कार्य इस प्रकार हैं :

ने. सु. च. बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता

- एकीकृत कार्गो के निर्यात क्षेत्र पर ई टी वी का प्रावधान।
- ने. सु. च. बो. अ. हवाई अड्डे पर अंतर्देशीय पार्किंग स्टैण्ड का निर्माण।

चेन्नई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, चेन्नई

- अन्ना अन्तरराष्ट्रीय टर्मिनल का विस्तार एवं रुपांतरण।
- एकीकृत कार्गो टर्मिनल (चरण –2)
- एयरबस 320/321 प्रकार के विमान के लिए अतिरिक्त 3 पार्किंग बे का निर्माण।

अन्य हवाई अड्डे

कुल्लू हवाई अड्डा

- 100 यात्रियों को संभालने के लिए आधुनिक सुविधाओं सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण।

लखनऊ हवाई अड्डा

- लखनऊ हवाई अड्डे पर नए तकनीकी ब्लॉक सहित नियंत्रण टावर का निर्माण।

उदयपुर हवाई अड्डा

- 500 यात्रियों को संभालने हेतु आधुनिक सुविधाओं सहित नए टर्मिनल भवन का निर्माण।

पंतनगर हवाई अड्डा

- ए टी आर –72 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु उपयुक्त 275 मी. (900 फुट) अर्थात् 1097 मी. से 1372 मी. तक धावनपथ का विस्तार।

कूच बिहार हवाई अड्डा

- धावनपथ को 1190 मी. तक प्रयोग योग्य बनाने के लिए धावनपथ के दोनों छोर पर 60 मी. तक विस्तार तथा धावनपथ, एप्रन का सुदृढ़ीकरण व संबंधित कार्य।

देहरादून हवाई अड्डा

- दिक्चालन सुविधाओं सहित ए बी–320/बी–737–800 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु देहरादून हवाई अड्डे को उपयुक्त बनाने के लिए 2140 मी. X 45 मी. के आकार के नए धावनपथ का निर्माण।

डिब्रूगढ़ हवाई अड्डा

- वर्तमान एप्रन का विस्तार तथा एक समय में 3 बी 737 –800/ए–320 प्रकार के विमान खड़े करने हेतु नए एप्रन का निर्माण।

खजुराहो हवाई अड्डा

- दो लिंक टैक्सी वे तथा आइसोलेशन बे सहित नए एप्रन का निर्माण।

कालीकट हवाई अड्डा

- 1000 अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को संभालने हेतु सभी आधुनिक सुविधाओं सहित अंतरराष्ट्रीय व अंतर्देशीय टर्मिनल भवन का विस्तार तथा रुपान्तरण।

कोयम्बटूर हवाई अड्डा

- 397 मी. (1300 फुट) अर्थात 2597 मी. से 2994 मी. तक धावनपथ का विस्तार।

मदुरै हवाई अड्डा

- 460 मी. (1505 फुट) अर्थात 1826 मी. से 2286 मी., तक धावनपथ का सुदृढ़ीकरण तथा विस्तार।

मैसूर हवाई अड्डा

- सीमेंट कंक्रीट धावनपथ 09/27–1740X30 मी. तथा 186 X 18 मी. विस्तार के लिंक टैक्सी वे सहित एप्रन का निर्माण।

तिरुपति हवाई अड्डा

- धावनपथ, टैक्सी वे तथा एप्रन का सुदृढ़ीकरण।

त्रिची हवाई अड्डा

- वर्तमान एप्रन का सुदृढ़ीकरण व विस्तार।
- 580 मी. अर्थात 1864 मी. से 2444 मी., तक धावनपथ का सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार तथा बी–737–800 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु उपयुक्त बनाने के लिए आइसोलेशन बे (76 मी. X 61 मी.) का निर्माण।

अकोला हवाई अड्डा

- 1400 मी. X 45 मी. तक धावनपथ का सुदृढ़ीकरण व विस्तार। टैक्सी वे तथा एप्रन (106 मी. X 90 मी.)

अहमदाबाद हवाई अड्डा

- 800 यात्रियों को संभालने के लिए नए अंतर्देशीय आगमन यात्री टर्मिनल का निर्माण ।

औरंगाबाद हवाई अड्डा

- नए एप्रन व टैक्सी ट्रैक का निर्माण।

बेलगाम हवाई अड्डा

- ए टी आर – 72 प्रकार के विमान के प्रचालन हेतु धावनपथ, टैक्सी वे तथा एप्रन का सुदृढ़ीकरण तथा नए आइसोलेशन बे तथा पैरामीटर रोड।

गोंडिया हवाई अड्डा

- 580 मी. तक धावनपथ का सुदृढ़ीकरण, चौड़ाई बढ़ाना व विस्तार तथा संबंधित कार्य।

पुणे हवाई अड्डा

- एप्रन व टैक्सी वे का सुदृढ़ीकरण व विस्तार तथा साथ ही नया लिंक टैक्सी वे।

रायपुर हवाई अड्डा

- 331 मी. अर्थात 1955 मी. से 2286 मी. तक धावनपथ का विस्तार।

वडोदरा हवाई अड्डा

- वर्तमान एप्रन का विस्तार व सुदृढ़ीकरण

सी एन एस/ए टी एम सुविधाएं

वर्ष के दौरान पूरी की गई प्रमुख सी एन एस/ए टी एम परियोजनाएं।

स्वचालित उड़ान निरीक्षण प्रणाली (ए एफ आई एस) :

- अधिक ऊंचाई पर दिक्चालन सुविधाओं के अंशशोधन को सुविधात्मक बनाने के लिए नए अर्जित (रेथियोन)विमान में नई अत्याधुनिक स्वचालित उड़ान निरीक्षण प्रणाली (ए एफ आई एस) को चालू किया गया है।

हैदराबाद व बैंगलोर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों पर सी एन एस सुविधाएं

- हैदराबाद के निकट शमशाबाद तथा बैंगलोर के निकट देवनहल्ली पर ग्रीनफील्ड अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर नई अत्याधुनिक सी एन एस सुविधाएं चालू की गई।

गगन का कार्यान्वयन

- भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, इसरो के साथ मिलकर ग्लोबल दिक्चालन सैटलाइट प्रणाली के लिए अन्तरिक्ष आधारित ऑगुमेंटेशन (एस–बी ए एस) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो महासागरीय क्षेत्र सहित भारतीय वायुक्षेत्र में सीमलैस दिक्चालन व सभी भारतीय हवाई अड्डों पर प्रिसीजन एप्रोच उपलब्ध करेगा। गगन के लिए तकनीकी प्रदर्शन प्रणाली (टी डी एस) सम्पन्न कर दी गई है तथा अंतिम प्रचालन चरण (एफ ओ पी) का कार्य शीघ्र आरंभ किया जाएगा।

विमानक्षेत्र दृश्य सिमुलेटर

- नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज (सी. ए. टी. सी.) इलाहाबाद में विमान क्षेत्र दृश्य सिमुलेटर चालू कर दिया गया है। इस सिमुलेटर की रचना नियंत्रण टावर से दिखाई पड़ने वाले प्रचालन हवाई अड्डे के त्रि–आयामी परिवेश को हूबहू प्रदर्शित करने के लिए की गई है। यह हवाई यातायात नियंत्रकों के प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त है।

फलाइट डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम (एफ डी पी एस)

- हवाई यातायात सेवाएँ स्वचालित हो सकें, इसके लिए हैदराबाद एवं मैंगलौर हवाई अड्डों पर एफ डी पी एस उपलब्ध करवाए गए हैं।

ए एस एम जी सी एस का मानचित्र संशोधन

- इंदिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर ए एस एम जी सी एस के लिए नया टैक्सी वे बनाने हेतु मानचित्र संशोधन का कार्य पूरा किया जा चुका है।

क्लोज्ड सर्किट टेलीविजन (सी सी टी वी)

- लखनऊ, जयपुर, वडोदरा, पुणे, कोयम्बटूर तथा लेह हवाई अड्डों पर क्लोज्ड सर्किट टेलिविजन कैमरे स्थापित किए गए हैं।

दिक्चालन सुविधाओं का प्रावधान

- भारतीय हवाई अड्डों पर दिक्चालन सुविधाओं में सुधार लाने के लिए 21 आई एल एस, 22 डी वी ओ आर की संस्थापना करने हेतु परियोजनाएं क्रियान्वयनाधीन हैं। इसमें 12 हवाई अड्डों–गया, सिलचर, पुणे, तिरुपति, सूरत, गोंडिया, विजयवाड़ा, बेलगाम, हुबली, पोर्टब्लेयर, पोरबंदर, तथा देहरादून पर नवीन आई एल एस सुविधाएँ उपलब्ध कराना भी शामिल है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोलकाता में कैट–। आई एल एस की संस्थापना का कार्य प्रगति पर है।

विमान यातायात प्रबंधन

- चेन्नई एफ आई आर पर एयरस्पेस का लचीला प्रयोग शुरु हुआ ताकि नागर व सैन्य उड़ानों के बीच सामंजस्य बना रहे। यह प्रयोग अग्रगामी परियोजना के रुप में किया गया है।
- हैदराबाद अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए ए टी एस मार्गों, एस आई डी एस, स्टार्स तथा आई ए एल प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया तथा आरंभ किया गया।
- बैंगलोर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रचालन के लिए ए टी एस मार्गों, एस आई डी एस, स्टार्स तथा आई ए एल प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया तथा आरंभ किया गया।
- मुंबई हवाई अड्डे पर क्रास रनवे प्रचालन को प्रतिदिन 8 घंटे बढ़ाया गया।
- इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर धावन पथ (रनवे) के एक साथ प्रयोग को 13 घंटे प्रतिदिन से बढ़ाकर 15 घंटे (0600–1300 तथा 1500–2300 बजे भारतीय मानक समय) कर दिया गया है।
- एम आई टी आर ई कारपोरेशन, संयुक्त राज्य अमेरिका के मार्ग दर्शन में दिल्ली, मुंबई व अहमदाबाद हवाई अड्डे के लिए पी बी एन प्रक्रियाएं तैयार की गई।
- हैदराबाद तथा बैंगलोर के नए हवाई अड्डों के लिए आर एन ए वी व नान–आर एन ए वी एस आई डी एस तथा स्टार्ट्स तैयार व क्रियान्वित किए गए।
- वर्ष 2007–08 के दौरान 12000 लीटर पानी की टंकी की क्षमता वाले 6 अत्याधुनिक तकनीक–युक्त विमानक्षेत्र अग्निशमन व बचाव वाहनों का प्रयोग चेन्नई, कोलकाता व त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डों पर (प्रत्येक हवाई अड्डे पर 2–2 वाहन) प्रारम्भ किया गया।
- वर्ष के दौरान विभिन्न मैट्रो एवं गैर मैट्रो हवाई अड्डों पर 2423 विश्वस्तरीय हवाई अड्डा टर्मिनल कुर्सियां (तीन सीट वाली) लगाई गई तथा इनका प्रयोग शुरु हुआ।

गैर मैट्रो हवाई अड्डों के शहर की तरफ के क्षेत्रों (सिटी साइड) का विकास

हवाई अड्डों पर बुनियादी सुविधाओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने 35 गैर मैट्रो हवाई अड्डों पर विश्वस्तरीय बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध करा के, इसके माध्यम से इन हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण व विकास करने का निर्णय लिया है।

जहां तक चुने हुए 24 गैर मैट्रो हवाई अड्डों के शहर की तरफ के क्षेत्रों (सिटी साइड) के विकास का संबंध है, यह कार्य निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ किया जा रहा है। अमृतसर तथा उदयपुर हवाई अड्डों के संबंध में यह प्रक्रिया अपने अंतिम दौर में है। इसके पश्चात अन्य हवाई अड्डों पर भी यह प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

हवाई अड्डों का आई एस ओ प्रमाणन

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.) को बेहतर बनाने के लिए भा. वि.प्रा. ने हवाई अड्डा, यूनिटों व कार्यालयों का, आई एस ओ के विभिन्न मानकों के अंतर्गत आई.एस.ओ. प्रमाणन कराने की प्रक्रिया प्रारम्भ की है। वर्ष 2007–08 के दौरान निम्नलिखित हवाई अड्डों/यूनिटों का विभिन्न मानकों के अंतर्गत आई.एस.ओ. प्रमाणन किया गया।

आई.एस.ओ. 9001 : 2000 – गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यू.एम.एस.)

भुवनेश्वर, नियामार, भोपाल, आर. सी. डी. यू.–दिल्ली, आर. ए. यू.–दिल्ली, रायपुर, राजकोट, सी एन एस/ए टी एम ए आई एस सहित, कोलकाता, ए टी एस चेन्नई, क्षेत्रीय मुख्यालय, भा.वि.प्रा. दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई, जोधपुर

आई.एस.ओ. 14001 : 2004 – पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (ई.एम.एस.)

उदयपुर, लखनऊ, इन्दौर

आई.एस. ओ. मानकों का एकीकृत प्रमाणन (क्यू.एम.एस.)/(ई.एम.एस.)/(ओ.एच.एस.ए.एस.)

जयपुर के अतिरिक्त निम्नलिखित दो स्टेशनों को यह प्रमाण प्राप्त हुआ है :–

अहमदाबाद और इन्दौर।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

- सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की बुनियादी सुविधाओं के प्रबंधन के लिए इंटरप्राइज मैनेजमेंट सिस्टम टूल्स की खोज की है। ऐसा करने वाला यह भारत का पहला विभाग है। विभाग के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है।
- सन तथा इंटेल मशीन्स, इन दोनों के लिए सर्वर स्पेस का अत्यधिक दक्ष उपयोग करने हेतु एप्लीकेशन सर्वर में नवीनतम वर्च्युलाइजेशन तकनीक क्रियान्वित की गई है। स्टोरेज एरिया नेटवर्क (एस ए एन) तथा नेटवर्क अटैच्ड स्टोरेज (एन ए एस) जैसी नई तकनीक को भी क्रियान्वित किया गया है। डाटा का नियमित स्वचालित बैक अप प्रचालन में है।
- 54 हवाई अड्डों पर हवाई अड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली (ए आई एम एस) उपलब्ध कराई गई है। इस प्रणाली पर यातायात व गैर यातायात की पूर्ण बिलिंग कार्यान्वित की गई है तथा अब बिल इसी साफ्टवेयर से तैयार किए जा रहे हैं।
- 18 हवाई अड्डों पर जी.आई.एस. आधारित भूमि व परिसम्पत्ति प्रबंधन प्रणाली (जी एल ए एम एस) क्रियान्वित की गई है।
- सूचना प्रोद्यौगिकी विभाग ने एक इंट्रानेट पोर्टल http://infosarthee बनाया है जो कि भा. वि. प्रा. के आन्तरिक प्रयोग के लिए उपलब्ध है।
- सी.आर.एस. डी. तथा ई एण्ड एम वर्कशाप में इन्वेन्ट्री एण्ड मेंटिनेंस मैनेजमेंट एप्लीकेशन पैकेज क्रियान्वित किया गया है।
- यात्रियों को निःशुल्क इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराने, उड़ानों के समय संबंधी जानकारी व पर्यटक सूचना देने तथा सुझाव व शिकायत आदि दर्ज कराने के लिए 35 हवाई अड्डों पर वायरलेस सूचना कियोस्क की व्यवस्था की गई है।
- ई टेंडरिंग पोर्टल के प्रयोग की प्रक्रिया अपनाई जा रही है तथा 10 निविदाओं के लिए अग्रगामी परियोजना तैयार है। इन्हें आन लाइन स्वीकार किया जाएगा। अभियांत्रिकी व वित्त निदेशालयों के कार्यपालकों के प्रथम बैच को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रशिक्षण

नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज, इलाहाबाद

नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज, इलाहाबाद हवाई यातायात प्रबंधन (ए.टी.एम.) तथा संचार, दिक्चालन एवं निगरानी (सी.एन.एस.) के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समर्पित है । यहां पर एस टी पी विकास के लिए एक ट्रेनएयर यूनिट भी विद्यमान है।

वर्ष के दौरान नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज में 84 पाठ्यक्रम चलाए गए जिसमें 630 प्रशिक्षणार्थि उत्तीर्ण हुए। प्रशिक्षणार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए 4 नई ए टी सी प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है। इस समय रडार रहित प्रयोगशालाओं की कुल संख्या 12 है। इन प्रयोगशालाओं में एक साथ कुल 144 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

यहां पर समय–समय पर अन्तरराष्ट्रीय ट्रेनएयर पाठ्यक्रम विकास कार्यशाला का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें विदेशी नागरिकों ने भी भाग लिया है।

नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज में प्रशिक्षण के लिए नए पाठ्यक्रमों का विकास अन्तरराष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा है। नागर विमानन प्रशिक्षण कालेज ने एक रडार नियंत्रण प्रणाली भी विकसित की है। अनुरक्षण पाठ्यक्रम विकसित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान (नियामार)

नियामार, हवाई अड्डा प्रबंधन के समस्त तकनीकी व गैर तकनीकी विभागों जैसे हवाई अड्डा प्रचालन, हवाई अड्डा अभियांत्रिकी (सिविल, विद्युत, इलैक्ट्रानिक्स), सूचना प्रोद्यौगिकी, परियोजना प्रबंधन, हवाई अड्डा वित्त, हवाई अड्डा प्रबंधन का वाणिज्यिक पहलू, मानव संसाधन प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, अन्तरराष्ट्रीय विमानन कानून, कार्गो प्रबंधन, विमानन संरक्षा व सुरक्षा आदि के क्षेत्र में प्रबंधन विकास कार्यक्रम का आयोजन करता है।

वर्ष 2007–08 के दौरान 65 कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसमें कुल 1390 अधिकारियों ने भाग लिया। इसमें 51 विदेशी तथा 407 अन्य संगठनों के कार्मिक भी शामिल हैं।

कल्याणमयी

कल्याणमयी पूरे वर्ष सामाजिक कार्यों में सक्रिय रुप से लगी रही। आई.एन ए. कालोनी के चिकित्सा केन्द्र के साथ–साथ राजीव गांधी भवन में भी योग की कक्षाएं नियमित रुप से लगाई जा रही हैं, बाह्य वास्कुलर रोगों की रोकथाम के लिए राजीव गांधी भवन में जुलाई 2007 माह में स्वास्थ्य चेतना कैम्प लगाया गया। कैंसर पीड़ितों की सहायता के लिए कल्याणमयी ने शांति अवेदना सदन का भी दौरा किया।

कर्मचारी संख्या

31 मार्च, 2008 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में कर्मचारियों की कुल संख्या 19108 थी।

औद्योगिक संबंध

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध कुल मिलाकर सौहार्दयुक्त एवं शांतिपूर्ण रहे।

अभिनव परिवर्तन में उत्कृष्टता हेतु अध्यक्षीय पुरस्कार योजना की शुरुआत

भा.वि.प्रा. ने "अभिनव परिवर्तन में उत्कृष्टता हेतु अध्यक्षीय पुरस्कार" की शुरुआत की है। ऐसे नए विचारों को विकसित करना जिससे उत्पादकता, दक्षता व वित्तीय लाभ में सुधार हो; फिजूलखर्ची में कमी आए, नैतिक व्यवहार स्थापित हो तथा उपभोक्ता संतुष्टि में वृद्धि जैसे अभिनव परिवर्तन को प्रोत्साहित करना इस योजना का उद्देश्य है। यह भा.वि.प्रा. के उद्देश्य (मिशन) के ही अनुरुप है। योजना के अन्तर्गत प्रति वर्ष अधिकतम 3 पुरस्कारों का प्रावधान है जो व्यक्तियों या समूहों द्वारा किए गए अनुकरणीय व उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। भा. वि. प्रा. के कार्यपालक निदेशक स्तर तक के सभी कार्मिक पुरस्कार के लिए पात्र हैं । पुरस्कार के रुप में निम्नलिखित प्रदान किए जाएंगे:–

- भा.वि.प्रा. के लोगो सहित एक ट्राफी
- एक प्रशस्ति पत्र
- व्यक्तिगत तौर पर पुरस्कार प्राप्त करने वाले कार्मिक को 50,000/–रुपए का नकद पुरस्कार अथवा समूह को कुल 2.50 लाख रुपए किंतु समूह के प्रत्येक सदस्य के लिए अधिकतम पुरस्कार राशि 50,000 रुपए होगी।

सत्यनिष्ठा समझौता

पारदर्शिता अन्तरराष्ट्रीय (ट्रांसपेरेंसी इन्टरनेशनल) के साथ दिनांक 15.2.2008 को सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। यह समझौता अभियांत्रिकी परियोजनाओं/सी.एन.एस. इलैक्ट्रानिक्स, भूमि व वाणिज्य से संबंधित सभी उन निविदाओं /संविदाओं पर लागू है जिनका निर्धारित मूल्य 50 करोड़/25 करोड़ रुपए है तथा जो 1 अप्रैल 2008 या उसके बाद खोली/हस्ताक्षर की जाने वाली हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के आरक्षण के संबंध में नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से जारी राष्ट्रपति के दिशा निर्देशों का नियमित आधार पर अनुपालन (क्रियान्वयन व निगरानी) किया जाता है। 31.03.2008 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित था :

कर्मचारियों की कुल सं.	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जातियों का प्रतिशत	अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत
19,108	4,769	1,163	25.0	6.1

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के अभ्यर्थियों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार भर्ती सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास किए जाते हैं।

अशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण

भा.वि.प्रा. में पर्सन्स विद डिसऐबिलिटीज (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा व पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों को पूरी तत्परता के साथ लागू किया जा रहा है।

विशेष भर्ती अभियान के परिणामस्वरुप 12 पद समूह ग में तथा 11 पद समूह घ में भर लिए गए हैं। 8 पद समूह क में तथा 10 पद समूह ख में भरे जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

31–03–2008 को कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अपंग व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार थी।

कर्मचारियों की कुल सं.	दृष्टि विकलांग	श्रव्य विकलांग	शारीरिक रूप से विकलांग
19,108	24	17	101

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण में भारत सरकार की राजभाषा नीति के तहत बनाए गए नियमों और निर्धारित अधिनियमों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाता है। वर्ष के दौरान, हिन्दी के प्रयोग हेतु कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए निगमित मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालयों और फील्ड कार्यालयों में हिन्दी कार्यशालाएँ आयोजित की गई। विभिन्न स्टेशनों पर हिन्दी भाषा सीखने, हिन्दी टंकण/आशुलिपि तथा कम्प्यूटर पर हिन्दी का प्रयोग संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।

वर्तमान में भा.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यालयों द्वारा हिन्दी की अनेक पत्रिकाएँ जैसे अर्पण, चेतना, ज्योति, दृष्टि, विमान भारती, विमानपथ आदि प्रकाशित की जा रही हैं।

निगमित मुख्यालय तथा अन्य सभी स्टेशनों पर सफलतापूर्वक हिन्दी पखवाड़े का आयोजन किया गया।

2007–08 में भा.वि.प्रा. की खेल गतिविधियां

भा.वि.प्रा. खेल प्रतिभा खोज एवं प्रशिक्षण योजना 2007–08 के तहत देश के पांच प्रतिभावान खिलाड़ियों नामतः सुश्री डी हरिका और मास्टर परिमार्जन नेगी (शतरंज), श्री अभिषेक वर्मा (तीरंदाज), सुश्री एम.आर. पोनम्मा और श्री सौरभ विज (एथलेटिक्स) को शामिल किया गया। इन सभी ने राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है।

ए ए आई एस सी बी को टेबल टेनिस फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा संस्थागत संबंधन प्रदान किया गया है।

एस आई एस सी बी द्वारा दिनांक 20 अक्तूबर से 25 अक्तूबर, 2007 तक गंगोत्री–गोमुख के पर्वतारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें 27 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने जनवरी 2008 में चेन्नई में अखिल भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया जिसमें 16 टीमों ने भाग लिया। विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करते हुए अनेक

राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में भाग लिया।

सतर्कता गतिविधियां

वर्ष 2007–08 के दौरान सतर्कता विभाग ने पूर्ण उत्साह से कार्य किया तथा भा.वि.प्रा. में कार्यशील विभिन्न प्रमुख विभागों से अनुरोध किया कि वे अपनी कार्यप्रणाली को संहित बद्ध करें ताकि कार्य में पारदर्शिता, निरपेक्षता और उत्तरदायित्वता आ सके। भ्रष्टाचार मुक्त वितरण प्रणाली संस्थापित करने हेतु उपाय तलाशने के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा विभागाध्यक्षों के साथ गहन चर्चा सत्र आयोजित किए गए।

संगठन मे ईमानदारी/सत्यनिष्ठा की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 12–16 नवम्बर, 2007 के मध्य सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया।

मुख्यालय/क्षेत्रों में क्लीन प्रोक्यूरमेंट पर कार्यशालाएं आयोजित की गई ताकि सेवाओं की त्वरित पूर्ति सुनिश्चित की जा सके और प्रक्रियाओं को सुप्रवाही बनाया जाए तथा प्रापण कार्यो से संबंधित कार्मिकों को सामान्यतः होने वाली भूलों के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और कार्य स्तर में सुधार लाने के तरीके बताए जा सके।

निम्नलिखित प्रयासों को लागू किया गया :–

(i) प्राधिकरण की आंतरिक वेबसाइट पर सतर्कता अनुमति पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को अपलोड किया गया है।

(ii) प्राधिकरण की वेबसाइट पर क्या करें व क्या न करें, अनुशासनिक प्रक्रियाओं व भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नागरिक मार्गदर्शिका जैसे विषयों पर सतर्कता पुस्तिकाओं को अपलोड किया गया।

(iii) जून, 2008 तक सतर्कता विभाग के लिए आई एस ओ प्रमाणीकरण प्राप्त करने हेतु समय सीमा बद्ध लक्ष्यों वाला एक्शन प्लान बनाया गया। मुख्य सतर्कता विभाग को दिनांक 12.8.2008 को आई एस ओ प्रमाण पत्र जारी किया गया।

(iv) प्राधिकरण के लक्ष्य प्राप्त करने में असाधारण योगदान को मान्यता प्रदान करने के लिए अभिनव परिवर्तन में उत्कृष्टता हेतु अध्यक्षीय पुरस्कार की स्थापना की गई।

(v) पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता, निष्पक्षता और उत्तरदायित्वता में सुधार लाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग किया गया है। इस दिशा मे वर्ष के दौरान निम्नलिखित कदम उठाए गए :–

(क) सभी तीसरी पार्टी भुगतानों के लिए ई–भुगतान अनिवार्य किया गया है।

(ख) ए आई एम एस (हवाई अड्डा सूचना प्रबंधन प्रणाली) पैकेज के माध्यम से ई–बिलिंग की शुरुआत की गई।

(ग) पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को सुधारने के लिए सभी निविदाओं के लिए सूचनाओं को प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जा रहा है।

(घ) प्राधिकरण के कर्मचारियों के कार्मिक और वित्तीय मामलों में पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वता में सुधार लाने के लिए एक सॉफ्टवेयर पैकेज (एकीकृत वित्तीय तथा कार्मिक प्रबंधन प्रणाली) आई एफ पी एम एस विकसित किया गया है तथा निगमित मुख्यालय में सफलतापूर्वक लागू भी किया गया। सतर्कता विभाग के सुझाव पर यह पैकेज सभी क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है।

(च) भ्रष्टाचार मुक्त वितरण प्रणाली को स्थापित करने हेतु तकनीकी विकास के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा अन्य सॉफ्टवेयर पैकेज जैसे अनापत्ति प्रमाणपत्र मामलों से संबंधित एक पैकेज, विकसित किया जा रहा है।

(छ) दिनांक 30.8.07 को अध्यक्ष द्वारा निदेश जारी किए गए कि बोली प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर सभी निविदा मूल्यांकन प्रक्रियाएं पूर्ण की जाएं। इस निदेश के उल्लंघन की जाँच सतर्कता विभाग द्वारा आकस्मिक आधार पर की जा रही है।

विमानन संरक्षा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अपनी सेवाओं के माध्यम से संरक्षा को उच्चतम प्राथमिकता प्रदान की है। विमानन संरक्षा निदेशालय (ए एस डी) को संगठन की संरक्षा स्थिति की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

यह कार्य मुख्यतः हवाई अड्डों और ए टी एस सेवाओ के संरक्षा ऑडिट, घटनाओं की जांच, खतरों और जोखिमों का मूल्यांकन के माध्यम से किया जाता है। निदेशालय अपने सभी कर्मचारियो के मध्य संरक्षा जागरुकता के माध्यम से संरक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए भी उत्तरदायी है।

ऊपर उल्लिखित कार्यों को सम्पन्न करने के लिए ए एस डी को सहयोग देने हेतु विमानन संरक्षा निदेशालय के दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, गुवाहाटी और चेन्नई में 5 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं।

वर्ष 2008–09 के दौरान नियोजित प्रमुख अवसंरचना कार्य

विमानक्षेत्र कार्य

35 चयनित गैर मैट्रो हवाई अड्डों पर अवसंरचना के आधुनिकीकरण का कार्य प्रगति पर है। इन कार्यो के मार्च 2009 तथा मार्च 2010 तक सम्पन्न होने की आशा है। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, कोलकाता मे एन एस सी बी आई हवाई अड्डा तथा चेन्नई मे चेन्नई हवाई अड्डा के आधुनिकीकरण तथा विस्तार का कार्य भी कर रहा है जिसके लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो गया है।

भावी दृष्टिकोण

कुछ विशिष्ट कारणों जैसे ए टी एफ का अधिक मूल्य, विमानों की अधिक क्षमता, शहरों से दूर दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थिति के कारण चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2008–09 की पहली तिमाही में विमान यातायात की प्रतिशत वृद्धि में कमी आई है। यह स्थिति कुछ समय के लिए है तथा आशा है कि आगामी तिमाहियों में बाजार में स्थिति स्थिर होने तथा शमशाबाद और देवनहल्ली में दो नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों के साथ सम्पर्क मार्ग में सुधार होने पर विमान यातायात में वृद्धि होगी।

निदेशक मंडल

वर्ष के दौरान बोर्ड के गठन में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:–

नागर विमानन मंत्रालय ने अपनी दिनांक 17 मार्च, 2008 की अधिसूचना सं. ए वी– 24015/005 /94–वी.बी. के माध्यम से श्री आर.एस. मेहरा, तत्कालीन सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में अंशकालिक सदस्य के रुप में नामांकन को वापस लिया।

31 मार्च, 2008 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में निम्नलिखित शामिल थे :–

1. डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष
2. श्री के. गोहेन, महानिदेशक नागर विमानन तथा पदेन सदस्य
3. श्री रघु मेनन, अंशकालिक सदस्य
4. श्री के. एन. श्रीवास्तव, अंशकालिक सदस्य
5. श्री पी. सेठ, सदस्य (प्रचालन)
6. श्री एच. एस. बेन्स, सदस्य (कार्मिक एवं प्रशासन)
7. श्री एस. सी. छतवाल, सदस्य (वित्त)
8. श्री वी. पी. अग्रवाल, सदस्य (योजना)

दिनांक 31.03.2008 के पश्चात सदस्य बोर्ड के गठन में परिवर्तन:–

नागर विमानन मंत्रालय ने अपनी दिनांक 11.06.2008 की अधिसूचना सं. एवी– 24015/005/94 – वी बी के अनुसार श्रीमती विलासिनी रामचन्दन, आई ए एस, अपर सचिव एवम् वित्तीय सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के बोर्ड में श्री रघु मेनन के स्थान पर अंशकालिक सदस्य के रुप में नियुक्त किया है।

बोर्ड, श्री रघु मेनन द्वारा बोर्ड के सदस्य के रुप में प्रदान की गई उनकी उत्कृष्ट एवं अमूल्य सेवाओं की सराहना करता है।

आभार प्रदर्शन

प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर किए गए सद्भावना पूर्ण प्रयासों तथा योगदान की सराहना करता है तथा इसे रिकार्ड करता है।

नागर विमानन मंत्रालय, डी. जी. सी. ए., भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक तथा अन्य सरकारी विभागों, एयरलाइन्स एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा दिए गए समर्थन तथा सहायता के लिए भी प्राधिकरण आभार प्रकट करता है। प्राधिकरण द्वारा सभी क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों में बैंकॉक स्थित इकाओ के क्षेत्रीय कार्यालय तथा मांट्रियल स्थित इकाओ के मुख्यालय द्वारा दिए गए समर्थन व सहयोग को रिकार्ड करता है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से

के रामलिंगम

(डॉ० के. रामलिंगम)
अध्यक्ष

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 29 सितम्बर, 2008

डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अंतरिम लाभांश का चैक श्री प्रफुल पटेल, माननीय केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) को प्रदान करते हुए।

श्री अशोक चावला, सचिव, नागर विमानन दीप प्रज्ज्वलित कर विमानन संरक्षा सप्ताह का उद्घाटन करते हुए।

डॉ. कलइगनार एम. करुणानिधि, माननीय मुख्यमंत्री, तमिलनाडु के साथ श्री प्रफुल पटेल, माननीय केन्द्रीय नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण मदुरै हवाई अड्डे पर नवीन एकीकृत टर्मिनल भवन के निर्माण हेतु शिलान्यास समारोह के अवसर पर।

डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल इंडिया के अध्यक्ष एडमिरल आर. एच. ताहिलियानी (सेवानिवृत) के साथ सत्यनिष्ठा समझौते के क्रियान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते हुए।

डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण व श्री एस. सी. छतवाल, सदस्य (वित्त) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्री पी. चिदम्बरम, माननीय केन्द्रीय वित्त मंत्री से राजस्व उत्पत्ति कार्य निष्पादन हेतु मान्यता स्वरूप प्रदत्त पुरस्कार ग्रहण करते हुए।

डॉ. के. रामलिंगम, अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण कार्यनिष्पादन आधारित दिक्चालन विषयक आईसीएओ संगोष्ठी में भाषण देते हुए।

वित्तीय स्थिति

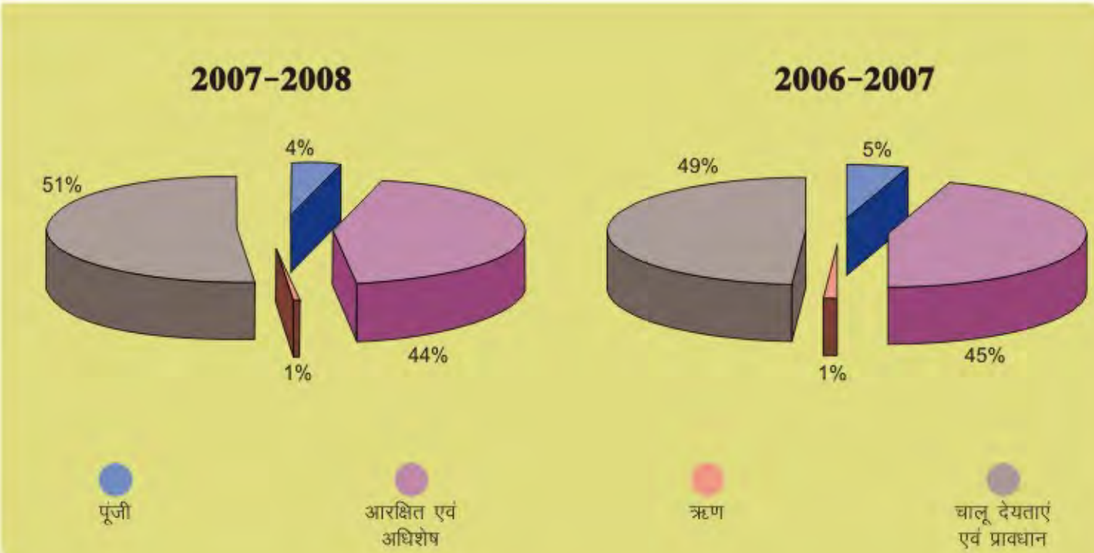

वित्तीय स्थिति

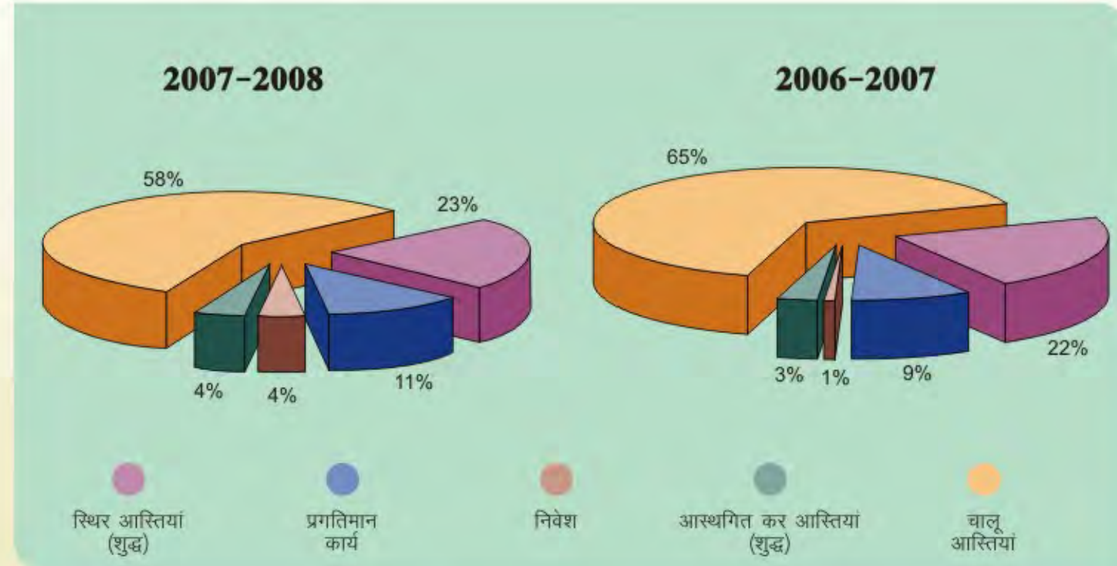

हमारी देनदारियाँ

करोड़ रुपये में

विवरण	31 मार्च 2008 को	31 मार्च 2007 को
पूंजी	**501.13**	463.63
आरक्षित एवं अधिशेष	**5,299.86**	4,381.76
ऋण	**60.85**	65.28
चालू देयताएं एवं प्रावधान	**6,221.12**	4,874.39
योग	**12,082.96**	9,785.06

हमारे स्वामित्व में

करोड़ रुपये में

विवरण	31 मार्च 2008 को	31 मार्च 2007 को
स्थिर आस्तियां (शुद्ध)	**2,774.25**	2,160.51
प्रगतिमान कार्य	**1,380.12**	838.55
निवेश	**469.91**	157.48
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	**405.52**	286.95
चालू आस्तियां	**7,053.16**	6,341.57
योग	**12,082.96**	**9,785.06**

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2007–08	2006–07	2005–06	2004–05	2003–04	2002–03
धन के स्रोत							
प्रदत्त पूंजी	करोड़ रुपए में	**501.13**	463.63	449.63	431.63	416.63	405.59
भारत सरकार से प्राप्त ऋण	"	**17.50**	15.00	18.00	15.00	2.04	16.80
प्रारम्भिक पूंजी का ऋण वाला भाग	"	—	—	—	—	—	—
अन्य ऋण	"	**43.35**	50.28	64.33	106.00	143.19	208.93
आरक्षित और अधिशेष	"	**5,299.86**	4,381.76	3,720.23	2,976.39	2,602.55	2,317.07
योग		**5,861.84**	4,910.67	4,252.19	3,529.02	3,164.41	2,948.39
धन का उपयोग							
स्थिर आस्तियां (मूल्यह्रास घटाकर)	"	**2,774.25**	2,160.51	1,974.89	1,890.57	1,801.56	1,714.16
प्रगतिमान कार्य	"	**1,380.12**	838.55	788.93	505.35	456.15	402.56
निवेश	"	**469.91**	157.48	22.12	8.57	10.00	11.15
कार्यशील पूंजी	"	**832.04**	1,467.18	1,285.81	1,124.53	896.70	820.52
आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	"	**405.52**	286.95	180.44	—	—	—
योग		**5,861.84**	4,910.67	4,252.19	3,529.02	3,164.41	2,948.39
आय और लाभ							
राजस्व	"	**4,889.21**	3,726.23	3,490.46	2,997.41	2,630.59	2,384.49
व्यय	"	**2,549.84**	2,196.90	2,236.03	2,312.58	2,086.63	1,887.44
कर पूर्व लाभ	"	**1,739.37**	1,529.33	1,254.43	684.83	543.96	497.05
कर हेतु प्रावधान	"	**776.07**	775.99	595.82	251.45	229.00	215.00
आस्थगित कर देयता (आस्तियां) हेतु प्रावधान	"	**(118.57)**	(106.51)	(59.01)	108.00	—	—
कर पश्चात् लाभ	"	**1,081.87**	859.85	717.62	325.38	314.96	282.05
विनियोजन							
सामान्य कोष	"	**497.23**	351.24	331.97	138.59	141.59	127.27
विशिष्ट आरक्षित	"	**331.49**	309.16	221.31	92.40	94.40	84.84
लाभांश (अंतरिम लाभांश सहित)	"	**216.38**	172.00	143.52	83.32	70.00	62.00
लाभांश पर कर	"	**36.77**	27.45	20.82	11.07	8.97	7.94
योग		**1,081.87**	859.85	717.62	325.38	314.96	282.05
शुद्ध निवेश (शेयर पूंजी+सामान्य कोष+विशेष आरक्षित–आस्थगित राजस्व व्यय)	"	**5,409.21**	4,542.99	3,868.59	3,123.20	2,752.65	2,460.63
नियोजित पूंजी (शुद्ध स्थिर आस्तियां+कार्यशील पूंजी)	"	**3,606.29**	3,627.69	3,260.70	3,015.10	2,698.26	2,534.68
चालू आस्तियां	"	**7,053.16**	6,341.57	5,286.68	4,285.34	3,509.34	3,322.28
चालू दायित्व	"	**6,221.12**	4,874.39	4,000.87	3,160.81	2,612.64	2,501.76
कार्यशील पूंजी	"	**832.04**	1,467.18	1,285.81	1,124.53	896.70	820.52

कार्य निष्पादन पर एक दृष्टि

विवरण	इकाई	2007–08	2006–07	2005–06	2004–05	2003–04	2002–03
अन्य स्थितियां							
स्थिर आस्तियों में वृद्धि	करोड़ रुपए में	**1,134.80**	636.61	510.81	477.14	464.93	400.54
प्रावधान को छोड़कर विविध देनदार	"	**634.47**	517.37	495.32	463.07	530.13	536.68
तैनात कर्मचारियों की सं.	संख्या	**19,108**	19,545	19,737	19,959	20,285	21,015
विमान संचलन	संख्या '000 में	**1,308**	1,075	838	719	637	561
यात्री आवागमन (**)	"	**67,036**	57,003	73,340	59,270	48,691	43,988
संभाला गया कार्गो (**)	'000 टन में	**748**	756	1,404	1,281	1,068	982
अनुपात							
शुद्ध निवेशित पूंजी के कर के बाद लाभ	प्रतिशत	**20%**	19%	19%	10%	11%	11%
विनियोजित पूंजी से कर के पूर्व लाभ	"	**48%**	42%	38%	23%	20%	20%
विनियोजित पूंजी से कर के बाद लाभ	"	**30%**	24%	22%	11%	12%	11%
विनियोजित पूंजी पर टर्नओवर	"	**119%**	102%	107%	99%	97%	94%
चालू अनुपात	अनुपात	**1.13:1**	1.31:1	1.32:1	1.36:1	1.38:1	1.33:1
कुल राजस्व पर कर पूर्व लाभ	प्रतिशत	**41%**	41%	36%	23%	21%	21%
कुल राजस्व पर कर पश्चात् लाभ	"	**25%**	23%	21%	11%	12%	12%
औसत ऋण संग्रह अवधि	दिनों में	**167**	164	131	149	200	188
प्रति कर्मचारी विमान संचलनों की संख्या	संख्या	**68**	55	42	36	32	27
प्रति कर्मचारी राजस्व	रुपए '000 में	**2,245**	1,906	1,768	1,502	1,297	1,135
प्रति कर्मचारी राजस्व व्यय	"	**1,334**	1,124	1,133	1,159	1,029	898
वार्षिक योजना							
योजना परिव्यय	करोड़ रुपये में	**1,961.41**	1,506.44	892.30	795.08	800.00	717.29
वास्तविक पूंजी व्यय	"	**1,980.23**	1,040.11	876.08	606.49	566.22	445.66
इस प्रकार वित्त पोषित है :							
उपयोग में लाए गए आंतरिक संसाधन	"	**1,803.31**	990.49	787.82	526.82	516.14	383.04
पूर्वोत्तर परिषद अनुदान	"	**57.05**	7.00	5.00	7.88	4.50	25.00
सरकार से प्राप्त हुई बजटीय सहायता	"	**55.00**	29.00	36.00	30.00	22.08	33.59
एमओडी/एपी सरकार से प्राप्त निधि	"	**14.87**	12.62	46.45	38.50	23.50	—
डी.जी.सी.ए. द्वारा वित्त पोषित योजना	"	**50.00**	—	—	—	—	—
अन्य		**—**	1.00	0.81	3.29	—	4.03
	योग	**1,980.23**	1,040.11	876.08	606.49	566.22	445.66

(**) मई 2006 से दिल्ली एवं मुम्बई हवाई अड्डो को छोड़कर

31 मार्च 2008 को तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

देयताएं	अनुसूची	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
पूंजीगत लेखा	ए	**50,112.65**	46,362.65
आरक्षित एवं अधिशेष			
(i) आरक्षित पूंजी		**39,177.89**	30,240.45
(ii) सामान्य आरक्षित		**3,51,908.30**	2,75,215.27
(iii) अन्य आरक्षित			
स्थायी आस्तियां प्रतिस्थापन आरक्षित		**84,469.62**	67,895.28
आरक्षित अप्रचलन		**27,214.95**	18,927.77
आरक्षित आकस्मिकता		**27,214.95**	18,927.77
आरक्षित सुरक्षा		**—**	26,970.00
ऋण	सी	**6,084.87**	6,528.22
(i) सुरक्षित			
(ii) असुरक्षित			
चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(i) देयताएं	डी	**2,34,442.25**	1,76,397.34
(ii) प्रावधान	ई	**3,87,670.28**	3,11,041.25
	योग	**12,08,295.76**	9,78,506.00

आकस्मिक देयताएं	एस
लेखों पर टिप्पणियां	टी
लेखा नीतियां	यू
सेगमेंट इंफॉरमेशन	वी

अनुसूची ए से वी तक संलग्न अनुसूचियां बैलेंसशीट व लाभ–हानि लेखे का अभिन्न हिस्सा है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.07.2008

(एम.सी. किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव

(अजित दुबे)
कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(सतीश सी. छतवाल)
सदस्य (वित्त)

(के. रामलिंगम)
अध्यक्ष

31 मार्च 2008 को तुलन पत्र

(लाख रुपए में)

आस्तियां	अनुसूची	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
स्थिर आस्तियां			
(i) सकल ब्लॉक		**7,54,758.85**	6,41,278.54
घटाइए : मूल्य ह्रास		**(4,77,334.46)**	(4,25,227.58)
शुद्ध ब्लॉक	एफ	**2,77,424.39**	2,16,050.96
(ii) प्रगतिशील पूंजीगत कार्य		**1,38,011.79**	83,855.18
निवेश		**46,990.65**	15,748.24
आस्थगित ऋण आस्तियाँ (शुद्ध)	जी	**40,552.16**	28,695.00
चालू आस्तियाँ			
(i) भंडार एवं कलपुर्जे		**5,982.90**	2,544.51
(ii) विविध देनदार	एच	**63,447.42**	51,736.82
(iii) रोकड़ तथा बैंक शेष	आई	**1,40,666.47**	1,98,086.83
(iv) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम	जे	**4,58,158.16**	3,51,440.09
(v) निवेशों/निक्षेपों पर प्रोद्भूत ब्याज		**11,329.19**	14,800.62
(vi) पूर्वदत्त व्यय		**296.30**	212.01
(vii) प्रोद्भूत आय परन्तु देय नहीं		**25,436.33**	15,335.74
	योग	**12,08,295.76**	9,78,506.00

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(लाख रुपए में)

व्यय	अनुसूची	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
वेतन तथा भत्ते	के	**71,163.09**	62,960.54
अन्य स्टाफ लागत	एल	**23,594.45**	20,531.15
प्रचालन व्यय	एम	**71,176.42**	64,437.05
अन्य प्रशासनिक एवं फुटकर व्यय	एन	**25,812.77**	15,894.81
मूल्यह्रास		**53,705.96**	46,593.68
वित्तीय प्रभार	ओ	**40.14**	91.31
प्रावधान			
संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान		**9,490.54**	9,181.36
आयकर के लिए प्रावधान			
(क) चालू कर			
(i) निगमित आय कर		**74,200.00**	73,600.00
(ii) अनुषंगी लाभ कर		**1,700.00**	1,500.00
(iii) अन्य		**1,707.10**	2,498.63
(ख) आस्थगित कर		**(11,857.00)**	(10,651.00)
लाभ–हानि विनियोजन लेखा में ले जाया गया शुद्ध लाभ		**1,08,187.10**	85,985.95
योग		**4,28,920.57**	3,72,623.48

टिप्पणी :

वित्त वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा द्वारा पूंजीगत सामान, कलपुर्जे, विदेश यात्रा, परामर्शी, विदेशी ऋणों एवं ब्याज तथा अन्य पर व्यय 353.95 करोड़ रुपये था।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.07.2008

(एम.सी. किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं
कम्पनी सचिव

(अजित दुबे)
कार्यपालक निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि लेखा

(लाख रुपए में)

आय	अनुसूची	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
यातायात राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधाएं प्रभार		**1,28,859.29**	1,12,175.82
अवतरण शुल्क		**36,739.55**	32,453.66
पार्किंग एवं हाउसिंग शुल्क		**875.01**	871.34
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**23,033.31**	19,140.42
यात्री सेवा शुल्क		**63,874.54**	56,032.50
गैर यातायात राजस्व			
सार्वजनिक प्रवेश शुल्क		**1,961.11**	2,090.23
व्यापार रियायतें		**28,479.33**	18,936.46
किराया एवं सेवाएं		**13,668.85**	13,742.11
कार्गो राजस्व		**17,050.62**	16,976.59
हवाई अड्डों को पट्टे पर देने से प्राप्त आय		**74,545.08**	50,914.00
अन्य विविध आय	आर	**38,174.29**	42,134.58
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)	क्यू	**1,659.59**	7,155.77
योग		**4,28,920.57**	3,72,623.48

(सतीश सी. छतवाल)
सदस्य (वित्त)

(के. रामलिंगम)
अध्यक्ष

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
विनियोजन		
लाभांश		
– अंतरिम	**10,000.00**	6,000.00
– प्रस्तावित	**11,638.00**	11,200.00
लाभांश पर कर		
– अंतरिम	**1,699.50**	841.50
– प्रस्तावित	**1,977.88**	1,903.45
विशिष्ट आरक्षित को स्थानान्तरित		
स्थिर आस्तियाँ एवजी आरक्षित	**16,574.34**	13,208.20
आकस्मिक आरक्षित	**8,287.17**	6,604.10
अप्रचलन आरक्षित	**8,287.17**	6,604.10
सुरक्षा आरक्षित	**–**	4,500.00
सामान्य आरक्षित को स्थानान्तरित	**76,693.04**	35,124.60
योग	**1,35,157.10**	85,985.95

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.07.2008

एम.सी. किशोर
(एम.सी. किशोर)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं
कम्पनी सचिव

(अजित दुबे)
कार्यपालक निदेशक
(वित्त एवं लेखा)

31 मार्च 2008 को समाप्त वर्ष का लाभ हानि विनियोजन लेखा

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
लाभ–हानि लेखा से लाया गया शुद्ध लाभ	**1,08,187.10**	85,985.95
विशिष्ट आरक्षित से स्थानान्तरित		
सुरक्षा आरक्षित	**26,970.00**	–
योग	**1,35,157.10**	85,985.95

सतीश छतवाल
(सतीश सी. छतवाल)
सदस्य (वित्त)

के रामलिंगम
(के. रामलिंगम)
अध्यक्ष

अनुलग्नक - "ए"

पूंजी लेखा

(लाख रुपए में)

विवरण		चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
वर्ष के आरम्भ में शेष		**46,362.65**	44,962.65
वर्ष के दौरान परिवर्धन		**3,750.00**	1,400.00
	योग	**50,112.65**	46,362.65

अनुलग्नक - "सी"

ऋण

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
ख. असुरक्षित ऋण :		
1. अधिनियम की धारा 23(बी) के अधीन भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया	**1,750.00**	1,500.00
2. अन्य ऋण	**400.00**	400.00
ग. विदेशी ऋण		
(क) निम्नलिखित द्वारा निश्चित सीमा तक गारंटी :		
I. भारत सरकार	**3,934.87**	4,464.49
II. अन्य ऋण	—	163.73
योग	**6,084.87**	6,528.22

उपर्युक्त ऋणों में से 1899.58 लाख रुपये अल्पकालीन ऋण हैं (एक वर्ष के भीतर देय अथवा पुनर्भुगतान)

अनुलग्नक - "डी"

चालू देयताएं

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
निम्नलिखित हेतु देयता :		
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–पूंजी	**22,525.54**	15,460.54
माल की आपूर्ति/किये गये कार्य–राजस्व	**4,510.95**	3,873.57
वेतन एवं भत्ते तथा अनुग्रह राशि	**20,289.84**	9,511.74
भविष्य निधि	**289.88**	742.50
निगम कर	**5,105.58**	3,019.44
माध्यस्थम	**—**	1,833.85
प्रेषण प्रतीक्षाधीन वसूलियां	**1,457.31**	1,057.54
हितकारी निधि	**1,715.31**	1,618.81
मौसम विभाग व्यय	**8,083.49**	11,632.00
अन्य व्यय	**75,487.86**	41,296.12
फुटकर लेनदार	**1,016.77**	938.79
परिसमाप्त क्षतियां	**2,082.70**	1,600.44
एन्टी हाइजैकिंग व्यय	**11,556.29**	10,408.57
लंबित कार्य–कर प्रेषण	**730.44**	247.63
सीआईएसएफ व्यय	**8,484.45**	7,045.03
प्रतिभूति निक्षेप, जमानत जमा निक्षेप	**13,397.19**	11,236.38
प्रोद्भूत ब्याज परन्तु ऋण पर देय नहीं :		
भारतीय ऋण	**7.01**	22.07
विदेशी ऋण	**0.09**	3.25
प्रारम्भिक पूंजी	**16,760.57**	16,760.57
अग्रिम रूप से प्राप्त आय किन्तु अदेय	**2,184.63**	1,471.40
ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	**5,114.17**	3,712.31
निक्षेप कार्यों के लिए निक्षेप	**2,754.38**	1,235.72
विविध जमा राशियां	**2,887.80**	2,669.07
जेवीसी से अपफ्रंट फीस	**28,000.00**	29,000.00
योग	**2,34,442.25**	1,76,397.34

अनुलग्नक - "ई"

प्रावधान

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
कर		
(i) आयकर	**2,95,581.05**	2,19,722.08
(ii) अनुषंगी लाभ कर	**4,700.00**	3,000.00
(iii) अन्य	**70.00**	70.00
प्रस्तावित लाभांश	**11,638.00**	11,200.00
लाभांश पर आयकर	**1,977.88**	1,903.45
उपदान	**28,833.41**	29,213.93
अन्य	**44,869.94**	45,931.79
योग	**3,87,670.28**	3,11,041.25

अनुलग्नक - "एफ"

स्थिर आस्तियां

(लाख रुपए में)

विवरण	मूल्यह्रास की दर %	सकल ब्लॉक 1.04.2007 को	स्थानांतरण सहित जोड़े गये	स्थानांतरण सहित समायोजन, विलोपन	31.03.2008 तक	मूल्यह्रास 1-04-2007 तक प्रदत्त	वर्ष के दौरान प्रदत्त	विक्रय/स्थानांतरण का समायोजन	कुल 31-03-2008 तक	शुद्ध अंकन 31-03-2008 को	31-03-2007 को
भूमि											
फ्रीहोल्ड		15,672.66	680.49	0.29	**16,352.86**	—	—	—	—	**16,352.86**	15,672.66
लीज़होल्ड		139.30	—	—	**139.30**	9.87	1.87	—	11.74	**127.56**	129.43
धावन पथ, टैक्सीपथ, एप्रन, सड़कें, पुल और पुलिया	13.00	1,56,742.98	36,135.14	210.11	**1,92,668.00**	1,01,707.34	16,907.50	2.99	1,18,611.85	**74,056.15**	55,035.64
फ्रीहोल्ड भवन											
क) टर्मिनल/अन्य भवन	8.00	1,16,151.36	20,525.55	1,284.10	**1,35,392.81**	64,581.46	9,119.69	308.12	73,393.03	**61,999.78**	55,192.28
ख) अस्थायी भवन	100.00	1,825.01	433.68	1.17	**2,257.52**	1,825.01	432.51	2.14	2,255.38	**2.14**	—
ग) रिहायशी	5.00	15,647.51	3,524.45	49.54	**19,122.42**	5,212.94	954.19	2.22	6,164.91	**12,957.51**	10,434.57
घ) अन्य	8.00	11,174.20	254.75	3.26	**11,425.68**	6,627.77	616.21	8.17	7,235.82	**4,189.87**	924.05
लीज़होल्ड भवन	8.00	304.49	—	—	**304.49**	304.47	0.01	—	304.49	**—**	0.01
सुरक्षा फेंसिंग	100.00	3,262.61	322.03	0.12	**3,584.52**	3,262.61	322.15	0.24	3,584.52	**—**	—
बाउन्ड्री वाल (प्रचालन)	8.00	9,780.59	4,198.66	162.08	**13,817.17**	3,643.85	1,175.93	-60.52	4,880.30	**8,936.86**	6,136.74
बाउन्ड्री वाल (रिहायशी)	5.00	568.34	52.69	—	**621.03**	134.76	31.05	—	165.81	**455.22**	433.58
संयंत्र और मशीनरी	11.00	1,39,935.22	15,265.05	1,974.61	**1,53,225.66**	1,16,561.52	6,611.99	-110.23	1,23,372.91	**29,852.75**	23,373.69
औजार एवं उपस्कर											
एक्स-रे बैगेज मशीनें	11.00	13,492.50	5,103.08	79.57	**18,516.01**	9,291.90	1,455.35	51.45	10,695.79	**7,820.23**	4,200.61
अन्य	20.00	10,184.75	663.13	66.17	**10,781.71**	7,773.82	1,030.70	21.80	8,782.72	**1,998.98**	2,410.93
फर्नीचर और फिक्सचर	20.00	9,439.57	2,007.90	55.60	**11,391.86**	7,803.78	1,008.86	22.86	8,789.79	**2,602.07**	1,635.78
कम्प्यूटर आई टी हार्डवेयर एवं एस्सेसरीस	20.00	8,940.36	1,413.92	170.93	**10,183.35**	6,516.37	1,437.05	142.00	7,811.41	**2,371.94**	2423.99
अमूर्त्त परिसंपतियां-कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20.00	1,058.47	764.50	—	**1,822.97**	237.81	373.20	—	611.00	**1,211.97**	820.67
वाहन											
क्रैश फायर टेंडर व फायर फाइटिंग उपस्कर	13.00	18,130.39	2,251.26	—	**20,381.65**	13,352.26	1,646.30	—	14,998.56	**5,383.09**	4,778.13
अन्य	14.00	5,799.10	550.11	216.15	**6,133.05**	4,260.04	468.62	244.90	4,483.76	**1,649.30**	1,539.06
विमान	10.00	8,146.03	6,470.78	—	**14,616.81**	6,626.65	1,168.18	—	7,794.84	**6,821.97**	1,519.37
विद्युत प्रतिष्ठान	11.00	92,270.84	17,798.74	880.81	**1,09,188.78**	63,472.39	8,004.92	313.86	71,163.44	**38,025.33**	28,798.47
अन्य कार्यालय उपकरण	18.00	2,601.91	235.35	16.40	**2,820.85**	2,010.61	215.40	13.96	2,212.04	**608.81**	591.30
पुस्तकालय हेतु पुस्तके	100.00	10.35	—	—	**10.35**	10.35	—	—	10.35	**—**	—
योग		**6,41,278.54**	**1,18,651.26**	**5,170.91**	**7,54,758.85**	**4,25,227.58**	**52,981.68**	**963.96**	**4,77,334.46**	**2,77,424.39**	**2,16,050.96**
पिछले वर्ष के आंकड़े		**5,77,614.84**	**68,895.54**	**5,231.84**	**6,41,278.54**	**3,80,126.28**	**46,684.44**	**1,583.15**	**4,25,227.58**	**2,16,050.96**	

उपर्युक्त परिसम्पत्तियों में से, परिसम्पत्तियां (सकल ब्लॉक रु. 184.22 करोड एवं शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूलनीय मूल्य-रु. 0.22 करोड़) अर्थात् टर्मिनल भवन (सकल ब्लॉक-रु. 0.21 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.11 करोड़), कम्प्यूटर (सकल ब्लॉक-रु. 0.06 करोड शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.00 करोड़), संयंत्र तथा उपस्कर (सकल ब्लॉक-रु. 178.31 करोड़ शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.04 करोड़), औजार तथा संयंत्र (सकल ब्लॉक- रु. 0.47 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.02 करोड़) सीएफटी के अतिरिक्त अन्य वाहन (सकल ब्लॉक- रु. 1.63 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.04 करोड़), वाहन कार/जीप (सकल ब्लॉक- रु. 0.98 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.00 करोड़), वैद्युत प्रतिष्ठान (सकल ब्लॉक- रु. 0.20 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.02 करोड़), अन्य कार्यालय उपकरण (सकल ब्लाक-रु. 0.08 करोड़ तथा शुद्ध ब्लाक/शुद्ध वसूली योग्य ब्लाक रु. 0.00 करोड़), एक्स-रे बैगेज (सकल ब्लॉक- रु. 2.29 करोड़ तथा शुद्ध ब्लॉक/शुद्ध वसूली योग्य-रु. 0.00 करोड़), सक्रिय उपयोग में नहीं है। इस प्रकार की आस्तियों पर लेखा पुस्तिकाओं में मूल्यह्रास की कटौती नहीं की गयी है।

अनुलग्नक - "जी"

लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
दीर्घावधि निवेश (लागत पर)		
क) व्यापारिक निवेश (उद्धृत नहीं)		
हैदराबाद इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एच आई ए एल)** की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान	**3,874.65**	2,464.04
बैंगलौर इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बी आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान	**4,999.80**	2,478.00
दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डी आई ए एल)^^ की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान	**32,500.00**	5,200.00
मुंम्बई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एम आई ए एल) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान	**5,200.00**	5,200.00
नेशनल फ्लाइंग स्कूल (गोंदिया) की शेयर पूंजी में इक्विटी अंशदान	**10.00**	—
ख) गैर व्यापारिक निवेश – अन्य (उद्धृत नहीं)		
आई डी बी आई की निवेश जमा खाता योजना 1986	**406.20**	406.20
योग	**46,990.65**	15,748.24

** इसमें 2,463.28 लाख रु. शेयर आवेदन मुद्रा के प्रति शामिल हैं।
^^ इसमें 14,300 लाख रु. शेयर आवेदन मुद्रा के प्रति शामिल हैं।

अनुलग्नक - "एच"

विविध देनदार

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
विविध देनदार		
(i) 6 महीने से अधिक की अवधि के लिए बकाया ऋण	**96,475.12**	80,225.97
(ii) अन्य	**38,791.70**	33,839.69
कुल योग	**1,35,266.82**	1,14,065.66
घटा : डूबी एवं संदिग्ध रकम हेतु प्रावधान	**71,819.40**	62,328.84
विविध देनदारो	**63,447.42**	51,736.82
विविध देनदारों के विवरण		
क) ऋण जो खरे हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पूर्णतः प्रतिभूत है।	**23,308.70**	17,715.99
ख) ऋण जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**40,138.72**	34,020.83
ग) ऋण जो खरे नहीं हैं तथा जिनका प्रावधान किया गया है।	**71,819.40**	62,328.84
योग	**1,35,266.82**	1,14,065.66

अनुलग्नक - "आई"

रोकड़ तथा बैंक शेष

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
रोकड़ एवं स्टैम्प्स	**79.31**	84.44
हस्तगत चैक	**377.15**	543.32
मार्गस्थ प्रेषण	**670.95**	4,147.76
बैंकों में अवधि जमा		
(i) एक वर्ष तक जमा	**10,724.84**	9,000.00
(ii) एक वर्ष से अधिक तक जमा	**1,16,696.47**	1,73,261.35
चालू खाते में बैंक शेष	**11,841.01**	10,147.07
विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन खाता	**276.74**	902.89
योग	**1,40,666.47**	1,98,086.83

नोट :–

1. अनुसूचित बैंकों के चालू खातों, कॉल खातों तथा निक्षेप खातों में शेष राशि 139539.07 लाख रु. है।

2. अनुसूचित बैंक से अन्य बैंकरों के नाम के विवरण तथा प्रत्येक के पास चालू खाते, कॉल खाते में शेष राशि तथा प्रत्येक बैंकर के पास वर्ष के दौरान किसी भी समय अधिकतम शेष राशि निम्नानुसार है :– शून्य

3.. उपर्युक्त (2) में उल्लिखित बैंकरों (अनुसूचित बैंकों से अन्य) के किसी सदस्य अथवा रिश्तेदार के हित यदि कोई हो :– शून्य

अनुलग्नक - "जे"

निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
स्टाफ को अग्रिम	**24,600.50**	26,651.40
खरीद हेतु अग्रिम	**4,148.61**	3,737.92
अन्य अग्रिम	**33,888.00**	21,641.09
अग्रिम आयकर		
(i) निगमित आय कर	**1,32,741.08**	1,00,380.08
(ii) अनुषंगी लाभ कर	**4,576.27**	3,199.34
(iii) अन्य	**8,033.11**	2,023.07
स्त्रोत पर कर कटौती	**2,38,840.59**	1,88,198.64
राज्य विद्युत बोर्ड के पास जमा	**6,452.11**	2,401.46
अन्य निक्षेप	**4,877.89**	3,207.09
योग	**4,58,158.16**	3,51,440.09

निक्षेप, ऋण एवं अग्रिमों का विवरण :

क) निक्षेप, ऋण व अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके प्रति प्राधिकरण पूर्णतः सुरक्षित है।	**1,00,703.51**
ख) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम जो विश्वसनीय हैं तथा जिनके लिए प्राधिकरण के पास देनदार की निजी जमानत के अतिरिक्त कोई प्रतिभूति नहीं है।	**3,57,454.02**
ग) निक्षेप, ऋण एवं अग्रिम जो संदेहास्पद हैं तथा जिनका प्रावधान किया है।	**0.63**

नोट : वर्ष के दौरान सदस्यों तथा अध्यक्ष को स्वीकृत ऋण एवं अग्रिम निम्नानुसार हैं :–

(i) 31.03.2008 को अध्यक्ष / सदस्यों द्वारा देय ऋण / अग्रिम व पेशगियां 0.42 लाख रुपये।

(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय सदस्यों / अध्यक्ष से अधिकतम देय राशि 0.74 लाख रुपये।

अनुलग्नक - "के"

वेतन और भत्ते

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
वेतन और भत्ते	**66,568.76**	54,351.95
भविष्य निधि अंशदान	**5,403.95**	4,797.89
ग्रेच्युटी	**4,793.01**	9,576.28
समयोपरि भत्ता	**4,518.05**	4,810.32
उत्पादकता सम्बद्ध प्रोत्साहन/अनुग्रह राशि	**2,594.41**	2,339.95
अन्य खर्चे	**88.10**	33.14
घटाः जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(12,803.19)**	(12,948.99)
योग	**71,163.09**	62,960.54

अनुलग्नक - "एल"

अन्य कर्मचारी लागत

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
चिकित्सा प्रतिपूर्ति	**10,309.83**	6,024.19
ईंधन/वाहन प्रतिपूर्ति	**3,089.64**	3,350.15
मानव संसाधन विकास व्यय	**670.98**	677.33
यूनीफार्म/वर्दी	**519.84**	770.90
अवकाश यात्रा रियायत	**533.49**	1,377.25
कैन्टीन सहायता खर्च	**1,509.19**	1,524.72
आवासीय भवन का किराया	**1,428.25**	1,550.33
अन्य खर्चे	**8,683.98**	7,789.96
घटाः जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत के प्रति वसूली	**(3,150.75)**	(2,533.68)
योग	**23,594.45**	20,531.15

अनुलग्नक - "एम"

प्रचालन व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
मरम्मत एवं रख–रखाव		
सिविल कार्यों	**11,041.78**	10,387.44
विद्युत कार्यों	**3,326.82**	2,923.00
वाहनों	**1,816.99**	1,034.88
संयंत्र एवं मशीनों	**1,474.49**	1,535.29
इलेक्ट्रानिकी	**5,766.04**	8,963.13
उपकरणों	**93.00**	135.50
भंडार एवं अतिरिक्त कलपुर्जों का उपभोग	**2,299.64**	2,738.08
विद्युत एवं जल प्रभार		
सकल प्रभार	**12,323.24**	11,680.17
घटा : वसूली	**(2,612.58)**	(2,440.54)
किराया, दर एवं कर	**475.28**	55.19
बीमा किस्त	**746.65**	390.09
विज्ञापन एवं प्रचार	**878.63**	580.77
निगम कर	**9,037.35**	1,007.84
मौसम–विज्ञान–संबंधी प्रभार	**3,290.22**	2,744.61
सुरक्षा व्यय		
सी आई एस एफ पर व्यय	**18,642.39**	20,737.11
राज्य पुलिस एवं अन्य पर व्यय	**1,871.76**	953.94
अन्य प्रचालन खर्चे	**704.72**	1,010.55
योग	**71,176.42**	64,437.05

अनुलग्नक - "एन"

अन्य प्रशासनिक एवं विविध व्यय

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
निगमित कार्यालय का निम्नलिखित पर व्यय :		
(i) मरम्मत एवं रख–रखाव	**692.33**	556.80
(ii) बीमा किस्त	**4.99**	213.56
(iii) विद्युत एवं जल प्रभार	**156.64**	285.39
(iv) किराया, दर एवं कर	**42.13**	42.12
(v) विज्ञापन एवं प्रचार	**574.65**	188.43
बोर्ड के सदस्यों का पारिश्रमिक	**48.94**	48.12
कानूनी व्यय	**286.22**	753.13
लेखा परीक्षा शुल्क	**304.23**	119.43
परामर्शी सेवाएं	**11.81**	618.83
डाक, तार एवं टेलेक्स प्रभार इत्यादि	**73.84**	71.62
टेलीफोन, फैक्स, इंटरनेट प्रभार इत्यादि	**1,367.62**	1,344.21
मुद्रण और स्टेशनरी	**609.31**	549.90
लीज किराया	**5.42**	5.74
प्रदत्त सेवाओं के लिए अन्य को दिया गया शुल्क	**1,597.32**	357.35
कर्मचारियों और पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण	**457.75**	214.59
भाड़ा प्रभार	**42.20**	36.03
यात्रा संबंधी खर्चे	**12,076.28**	2,807.42
अनुसंधान एवं विकास–विमानपत्तन विकास	**52.60**	15.85
विविध व्यय	**7,490.14**	7,750.78
घटाः जेवीसी से प्रचालन सहायता लागत की वसूली	**(81.65)**	(84.49)
योग	**25,812.77**	15,894.81

अनुलग्नक - "ओ"

वित्तिय प्रभार

(लाख रुपए में)

विवरण	चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
ब्याज :		
(i) दीर्घकालीन ऋणों पर	**35.42**	91.31
(ii) अल्पावधि ऋण/नकद ऋण	**4.72**	—
योग	**40.14**	**91.31**

अनुलग्नक - "क्यू"

पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)

(लाख रुपए में)

विवरण		चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
व्यय			
वेतन और भत्ते		**(386.77)**	12.07
अन्य कर्मचारी लागत		**(0.19)**	(17.14)
प्रचालन व्यय		**(179.54)**	(1,638.76)
अन्य प्रशासनिक व विविध व्यय		**(184.96)**	316.86
मूल्यह्रास		**(748.14)**	(204.90)
	कुल योग	**(1,499.60)**	(1,531.87)
आय			
ट्रैफिक राजस्व			
मार्ग दिक्चालन सुविधा प्रभार		**23.56**	(234.84)
अवतरण शुल्क		**(9.94)**	(142.18)
पार्किंग व हाउसिंग शुल्क		**0.06**	—
टर्मिनल दिक्चालन अवतरण प्रभार		**(3.76)**	—
यात्री सेवा शुल्क		**41.24**	(218.25)
	योग	**51.16**	(595.27)
गैर ट्रैफिक राजस्व			
जन प्रवेश शुल्क		**—**	9.80
व्यापारिक छूट		**123.72**	208.89
किराया व सेवाएं		**428.65**	4,222.40
	योग	**552.37**	4,441.09
कार्गो राजस्व		**(2.37)**	—
अन्य विविध आय		**(441.17)**	1,778.09
	कुल विविध आय	**(443.54)**	1,778.09
	कुल योग	**159.99**	5,623.90
पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध)		**1,659.59**	7,155.77

अनुलग्नक - "आर"

अन्य विविध आय

(लाख रुपए में)

विवरण		चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
आवधिक जमा पर ब्याज		**17,224.05**	14,483.83
परामर्शी सेवाओं से आय		**91.10**	5.72
कार पार्किंग		**4,230.42**	3,784.37
परित्यक्त सामान सुविधाएं		**12.63**	11.76
स्थिर आस्तियों की बिक्री पर लाभ		**111.68**	1,223.01
कर्मचारी पेशगियों पर ब्याज		**654.01**	435.60
ब्याज से अन्य आय		**668.49**	4,795.77
विविध आय		**15,181.91**	17,394.52
	योग	**38,174.29**	42,134.58

अनुलग्नक - "एस"

आकस्मिक देयताएँ

(लाख रुपए में)

विवरण		चालू वर्ष 2007-08	पिछला वर्ष 2006-07
I. दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है :			
1. भूमि संबंधी मामले		**15,398.99**	14,738.00
2. दुर्घटना के संबंध में क्षतिपूर्ति के दावे		**2,195.42**	2,239.00
3. माध्यस्थम मामले		**29,362.09**	19,549.00
4. कार्गो संबंधी दावे		**1,009.71**	899.00
5. न्यायालयीन मामले		**5,796.21**	13,071.00
6. बिक्री कर/निगमकर/आयकर आदि		**60,709.24**	38,500.00
7. अन्य		**10,354.34**	5,402.00
	योग	**1,24,826.00**	94,398.00

अनुलग्नक-"टी"

लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां

1. लेखों का प्रारूप

भारत सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखों का विवरण) नियम 2008 के अधीन दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अधिसूचना सं. 800 में दिये संशोधित प्रपत्र के अनुसार लेखा प्रस्तुत किया गया है।

2. भूमि

(i) प्राधिकरण के स्वामित्व में 44968 एकड़ भूमि है जिसमें कार्ड्ड आउट आस्तियों को छोड़कर सी एस आई, मुंबई हवाई अड्डा (2001 एकड़) और आई जी आई,नई दिल्ली हवाई अड्डा व (5106 एकड़) की भूमि शामिल है जिन्हें संयुक्त उद्यम कम्पनियों को पट्टे पर सौंप दिया गया है यथा आई जी आई (दिल्ली) पर दिल्ली इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) को और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डा पर मुंबई इन्टरनेशनल एयरपोर्ट प्राईवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को। सी एस आई, मुंबई सहित, भूमि के कुछ भाग (लगभग 838 एकड़), विभिन्न हवाई अड्डों पर अतिक्रमण के अधीन है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में स्वामित्व अधिकार पत्र हस्तांतरित करने के साथ ही भूमि रिकार्डों के संकलन तथा भूमि अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी है ।

(ii) रक्षा मंत्रालय तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के मध्य विभिन्न हवाई अड्डों की भूमि हस्तांतरित करने के संबंध में नियम व शर्तों का निर्धारण अभी किया जाना है। आई जी आई हवाई अड्डा, दिल्ली पर 56.78 एकड़ भूमि रक्षा मंत्रालय से ली गई थी और रक्षा मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से रुपये 53.61 करोड़ (पिछले वर्ष–रु0 53.61 करोड़) के भुगतान का दावा किया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने रु. 2 करोड़ का भुगतान कर दिया है। शेष राशि रु. 51.61 करोड़ (पिछले वर्ष–रु0 51.61 करोड़) को आकस्मिक देनदारी के अधीन दिखाया गया है।

(iii) चेन्नई हवाई अड्डे के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग 45 पर फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु 5154.50 वर्ग मीटर भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्रदान की गई तथा इसके लिए देय क्षतिपूर्ति पर सहमति बनाने व इसे निर्धारित करने का काम अभी शेष है। इसका निर्धारण हो जाने के बाद इसे लेखे में शामिल कर लिया जाएगा।

3. मूल्यह्रास

मूल्य–ह्रास, अचल आस्ति सूची में दर्शाई गई दरों के अनुसार तकनीकी व उपयोगी जीवनावधि के आधार पर अचल आस्तियों पर लगाया जाता है।

4. आई जी आई (दिल्ली) और सी एस आई (मुंबई) हवाई अड्डों का प्रचालन, प्रबंधन एवं विकास

(i) आई. जी. आई. हवाई अड्डा दिल्ली तथा सी एस आई हवाई अड्डा मुंबई के प्रचालन, प्रबंधन एवम् विकास का कार्य दिनांक 3 मई, 2006 से 30 वर्ष की अवधि तक बढ़ाए जाने तक, दिल्ली अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (डी आई ए पी एल) तथा मुंबई अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राइवेट लिमिटेड (एम आई ए पी एल) को 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर सौंपा गया है। अचल आस्तियां पट्टे पर डी आई ए पी एल तथा एम आई ए पी एल को दी गई हैं तथा उन्हें अचल आस्तियों के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

आस्तियों के संयुक्त पूंजी निवेश के संबंध में प्रचालन, प्रबंधन व विकास समझौते (ओ एम डी ए) के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की गई है। इन आस्तियों के मूल्यह्रास की गणना समान आस्तियों के लिए निर्धारित सामान्य मूल्यह्रास नीति के अनुसार ही की गई है।

(ii) डी आई ए पी एल (402.72 करोड़ रुपए) तथा एम आई ए पी एल (332.73 करोड़ रुपए) से 735.45 करोड़ रुपए के राजस्व भाग को "हवाई अड्डों की लीजिंग से आय" शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया गया है।

(iii) ओ एम डी ए के प्रावधानों के अनुसार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के तैनात कर्मचारियों के लिए प्रचालन सहायता लागत की प्रतिपूर्ति जे.वी.सी. द्वारा देय है। वर्ष के दौरान 160.36 करोड़ रुपए की राशि परिगणित की गई है और उपयुक्त अनुसूचियों में जे.वी.सी. से प्रतिपूर्ति के रुप में दर्शायी गई है।

(iv) ओ एम डी ए के अनुसार प्रचालन सहायता के अधीन संरक्षित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के कर्मचारियों को 01.01.2007 से प्रभावी वेतन तथा भत्तों के संशोधन के रुप में 36.74 करोड़ रुपए की आवश्यक देनदारी राशि जे.वी.सी. द्वारा देय है।

(v) 1 जून, 2007 से 29 फरवरी, 2008 तक वार्षिक शुल्क पर सेवा कर के रुप में श्रेणी – अचल सम्पत्ति सेवाओं को किराए पर देने के प्रति देय 57.77 करोड़ रुपए की राशि के संबंध में मैसर्स डी आई ए एल तथा मैसर्स एम आई ए एल ने इसकी अनुप्रयोज्यता/प्रभार्यता के आधार पर विवाद उठाया है तथा यह मामला माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष लम्बित है। वापसी (प्रतिदाय) आवेदन कानूनी सलाहकार के सुझाव के अनुसार सेवा कर प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जमा किए गए 57.77 करोड़ रुपए के कर को लौटाया जाए। यह राशि प्रतिपूर्ति शीर्ष के अधीन दर्शायी गई है। परामर्शानुसार 1 मार्च, 2008 से प्रभावी मामले में लंबित अंतिम निर्णय तक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने न तो कोई बिल प्रस्तुत किया है और न ही जे.वी.सी. से मासिक वार्षिक शुल्क पर सेवा कर जमा किया है।

(vi) भारत सरकार (जी.ओ.आई.) तथा डी आई ए पी एल व एम आई ए पी एल के मध्य निष्पादित हुए राज्य सहयोग समझौते के प्रावधानों के अनुसार, ओ एम डी ए के निरस्त होने या समाप्त होने पर प्राधिकरण द्वारा हस्तांतरणीय आस्तियों तथा अहस्तांतरणीय आस्तियों की खरीद के संबंध में जे वी सी को भुगतान करने हेतु भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दायित्व के संबंध में भारत सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से जे वी सी को गारंटी/प्रत्याभूति उपलब्ध कराई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने भारत सरकार को प्रति प्रत्याभूति दी है।

5. राजस्व

(i) अनुमानित उपयोगीकरण पर आधारित "सर्व इंडिया योजना"के अधीन वर्ष के दौरान प्राप्त सीमा शुल्क छूट प्रमाण पत्र के प्रति आय के रुप में 55.50 करोड़ रुपए (शुद्ध) की राशि परिगणित की गई। ड्यूटी क्रेडिट पात्रता लेखा के लिए वर्ष के दौरान प्रयोग किए गए प्रामणपत्रों की सीमा तक आवश्यक समायोजन किए गए है।

(ii) वर्ष के दौरान तेल कम्पनियों से वसूली योग्य 95.56 करोड़ रुपए की राशि 2005–06 से 2007–08 की अवधि के लिए थ्रूपुट प्रभारों के प्रति अनुमानित आधार पर परिगणित की गई है।

(iii) नवम्बर, 1999 व अप्रैल 2001 में विमानपत्तन प्रभारों में की गई वृद्धि, सिविल एंक्लेवों पर टी एन एल सी के भुगतान आदि के कारण इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड और प्राधिकरण के मध्य उठे विवाद को सुलझाने के लिए नागर विमानन मंत्रालय द्वारा नियुक्त किए गए माध्यस्थ के समक्ष है।

(iv) इंडियन एयरलाइंस के अतिरिक्त यात्री सेवा शुल्क के रुप में प्राप्त आय को उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए यात्री डाटा के आधार पर बुक किया गया है। इंडियन एयरलाइंस के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरणों के आधार पर उसको परिगणित किया गया।

6. व्यय

क) दूसरी वेतन परिशोधन समिति की सिफारिशों के अधीन परिशोधित वेतनमान के प्रति वेतन व भत्तों के बकायों के रुप में कर्मचारियों (जे वी सी में तैनात कर्मचारियों सहित) को दिए जाने वाले भुगतान के संबंध में चालू वर्ष के दौरान रुपए 167 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

ख) चालू वित्त वर्ष के दौरान छठे वेतन आयोग की सिफारिशो के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को देय वेतन व भत्तों के बकाया के प्रति रु. 20 करोड़ की राशि का प्रावधान किया गया है।

7. क) ए एस–15 (परिशोधित) के अधीन डिस्क्लोजर

परिभाषित लाभ दायित्वों के संबंध में ''कर्मचारी लाभों'' पर लेखा मानकों (ए एस)–15 (परिशोधित) के अधीन अपेक्षित डिस्क्लोजर इस प्रकार हैं:–

(करोड़ रुपए में)

क्रम संख्या	विवरण	उपदान	सेवानिवृत्ति उपरांत चिकित्सा लाभ	सेवानिवृत्ति उपरांत समाधान लाभ
1.	वर्ष के आरम्भ में देनदारियां	292.14	93.94	78.60
2.	ब्याज लागत	16.52	9.00	6.29
3.	चालू सेवा लागत	4.14	15.98	1.00
4.	भुगतान किए गए लाभ	(54.35)	(6.38)	(0.88)
5.	एक्यूरियल लाभ (–)/ हानियां (+)	29.88	27.16	0.43
6.	वर्ष के अंत में देनदारियां	288.93	139.70	85.44

ख) ए एस 22 आस्थगित कर के अधीन डिस्क्लोजर

''आय पर करों का लेखांकन'' पर ए एस 22 के अधीन 31 मार्च, 2008 को शुद्ध आस्थगित कर निम्नलिखित विवरण के अनुसार लेखा में लिया गया है:–

(i) प्रावधानों व आकस्मिक देयताओं का ब्योरा तथा संचलन इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

मदें	2007–08	2006–07
पुस्तक तथा कर ह्रास में अन्तर	32.95	(14.42)
अशोध्य तथा संदेहास्पद ऋणों हेतु प्रावधान	233.89	225.64
नगर निगम कर	21.73	10.19
छुट्टी नकदीकरण/सेवा निवृत्त कर्मचारी चिकित्सा लाभ	88.59	65.64
सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पुनर्वास हेतु प्रावधान	28.35	–
आस्थगित कर आस्ति (देनदारियां)	405.52	286.95

ग) ए एस–29 के संबंध में डिस्क्लोजर

(i) प्रावधानों व आकस्मिक देयताओं का ब्योरा तथा संचलन इस प्रकार है :–

(करोड़ रुपए में)

	प्रावधान				आकस्मिक देयताएं
	कर	लाभांश	छुट्टी नकदीकरण	अन्य	
01.04.2007 को आरम्भिक शेष	2246.95	112.00	166.47	459.32	943.98
परिवर्धन	795.85	116.38	68.61	–	377.46
उपयोग/समायोजन	19.51	112.00	27.09	10.62	73.18
31.03.2008 को अंतिम शेष	3023.29	116.38	207.99	448.70	1248.26

(ii) सामान्य

क. आयकर अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के अनुसार करों का भुगतान किया जाता है।

ख. संसद में लेखे प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार को लाभांश का भुगतान किया जाता है।

ग. निर्धारित नियमों के अनुसार, कर्मचारी के सेवा में रहते हुए भी और सेवा मुक्त होने के समय छुटिट्यों के नकदीकरण का भुगतान किया जाता है।

घ. आकस्मिक तथा अन्य देयताओं को स्थिति अनुसार निपटाया जाता है।

8. कोचीन अन्तरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (सी आई ए एल) में सी एन एस/ए टी एम सेवाएं।

भा.वि.प्रा. जून 1999 से कोचीन इन्टरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (सी आई ए एल) को सी एन एस/ए टीएम सेवाएं प्रदान कर रहा है तथा सी एन एस/ए टीएम प्रावधानों के प्रति सी आई ए एल द्वारा देय सितम्बर, 2006 तक के शुल्कों की राशि रु. 26.85 करोड़ (पिछले वर्ष रु. 26.85 करोड़) को लेखों में नहीं दर्शाया गया है क्योंकि इस मामले का अभी निपटारा नहीं हुआ है। सरकार की नीति के अनुसार भा.वि. प्रा. ने अक्तूबर, 2006 से विमान सेवाओं से टी एन एल शुल्क लेना प्रारम्भ कर दिया है तथा उसकी गणना आय के रुप में की गई है।

9. हैदराबाद तथा बैंगलोर हवाई अड्डा

भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार, शमशाबाद में राजीव गांधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (एच आई ए एल) के प्रारम्भ होने पर, हैदराबाद स्थित हवाई अड्डे को दिनांक 23 मार्च, 2008 से वाणिज्यिक नागर विमानन प्रचालनों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इसी प्रकार देवनहल्ली में बैंगलोर अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा प्रारम्भ होने पर बी आई ए एल स्थित हवाई अड्डा 24 मई, 2008 से वाणिज्यिक नागर विमानन प्रचालनों के लिए बंद कर दिया जाएगा।

भा.वि.प्रा. हैदराबाद/बैंगलोर हवाई अड्डों पर उपलब्ध सेवाओं /आस्तियों के उपयोग हेतु अन्य आयामों पर विचार कर रहा है।

10. गोंदिया हवाई अड्डा

राष्ट्रीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु भा. वि.प्रा. तथा सी ए ई इन्क. कनाडा के मध्य दिनांक 07.02.2008 को एक संयुक्त उद्यम करार (जे वी ए) पर हस्ताक्षर हुए। जे वी ए के प्रावधानों के अनुसार भा. वि. प्रा. तथा सी ए की सह कम्पनी, इन्टरनेशनल फ्लाइंग स्कूल (मारीशस) लिमिटेड (आई एफ एस एम एल) के मध्य एक शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एस एच ए) भी हस्ताक्षरित हुआ है संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) में भा.वि.प्रा. की इक्विटी 49% होगी जबकी आई एफ एस एमएल की 51% इक्विटी होगी।

11. नागपुर हवाई अड्डा

नागपुर में एक मल्टी–मॉडल अन्तरराष्ट्रीय यात्री और कार्गो हब के विकास के लिए 18 दिसम्बर, 2006 को भारत सरकार, भा.वि.प्रा. और महाराष्ट्र सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए है। नागपुर हवाई अड्डे पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण/नागर विमानन मंत्रालय की सभी परिसम्पत्तियां संयुक्त उद्यम कम्पनी (जे वी सी) को सौंपी जानी है। (मौजूदा कंट्रोल टॉवर, भविष्य का तकनीकी ब्लॉक व कंट्रौल टॉवर तथा सी एन एस/ए टी एम की कार्यप्रणाली से संबंधित अन्य उपकरणों को छोड़कर)। हालांकि जे वी सी के वित्तीय ढांचे तथा अन्य संबंधित मुद्दों की सरकार द्वारा नियुक्त समिति जांच कर रही है।

12. लेखा नीतियों में परिवर्तन के प्रभाव

कार्य(यों) की समापन लागत सहित पूंजीगत परियोजनाओं को संभालने वाले विशिष्ट परियोजना प्रभाग के सीधे राजस्व व्यय के पूंजीकरण पर लेखा नीति के बदलाव के प्रभाव स्वरुप वर्तमान वर्ष के लाभ में 16.55 करोड़ रुपयों की वृद्धि हुई है।

13. वचनबद्धता

पूंजीगत लेखे में निष्पादित नहीं किए गए ठेके की अनुमानित राशि जिसका प्रावधान नहीं किया गया है वह तुलन पत्र की तारीख को साख पत्र (139.19 करोड़ रुपये) सहित 1,912.35 करोड़ रुपये है।

14. अन्य

(i) बोर्ड के निर्णय के अनुसार सुरक्षा रिजर्व को सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित कर दिया गया है।

(ii) अग्रिमों/उपभोक्ता लेखों/देयताओं आदि की शेष पुष्टि/समाधान के अधीन है।

(iii) 18.39 लाख रुपये (पिछले वर्ष रु. 20.96 लाख) की हानियों की जांच पड़ताल लम्बित है।

(iv) गत वर्षों के आंकड़ों तथा अनुसूचियों को आवश्यकतानुसार पुनः व्यवस्थित/पुनः समूहीकृत किया गया है।

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 05.07.2008

एम.सी. किशोर			
(एम.सी. किशोर)	(अजित दुबे)	(सतीश सी. छतवाल)	(के. रामलिंगम)
कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

अनुलग्नक-"यू"

लेखा नीतियाँ

प्राधिकरण द्वारा अनुसरण की गई महत्वपूर्ण लेखा नीतियां इस प्रकार है:–

1 लेखा आधार

लेखों को मान्य राजस्वों सहित ऑन गोइंग कंसर्न आधार पर तैयार किया गया तथा व्ययों की गणना अक्रुवल आधार पर की गई।

2 स्थिर आस्तियां

(i) स्थिर आस्तियों को लागत (अर्जन, प्रतिष्ठापन तथा चालू करने से संबंधित अन्य व्ययों सहित) माना गया है।
(ii) पूंजीकरण को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की पूंजीकरण नीति के अनुसार कार्यान्वित किया गया है।
(iii) वे सभी परियोजनाएं जिन्हे पूरा कर लिया गया है परन्तु उन्हें प्रयोग में नहीं लाया जा सका, उन्हें परियोजना के पूरा होने की तारीख से तीन महीने के पश्चात् पूंजीकृत किया गया है।
(iv) आंशिक रुप से पूर्ण कार्य/परियोजनाओं तथा उनको प्रयोग में लेने वाले कार्यों को तकनीकी निर्धारण के आधार पर पूंजीकृत किया गया।
(v) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की आस्तियों से असंबंधित व्यय राजस्व व्ययों के रुप में प्रभारित किया गया है।
(vi) परित्यक्त कार्यों के मामले मे पूर्व–परियोजना व्यय तथा समय से पूर्व समाप्त किए गए व परित्यक्त कार्यों के लिए किए गए व्यय को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।
(vii) स्थिर आस्तियां जिनका पूर्णतयाः मूल्यह्रास हुआ है उन्हें 1 रुपये के शेष मूल्य पर दर्शाया गया है।
(viii) राज्य सरकार से निःशुल्क अर्जित गैर वित्तीय आस्ति की लागत प्रत्येक प्रकार की आस्ति के लिए 1 रुपये के नाम मात्र का मूल्य माना गया है।
(ix) जहां कहीं भूमि की बिक्री/हस्तांतरण/निपटारा किया गया तथा ऐसी भूमि का मूल्य विशेष उपलब्ध नहीं है, वहां निशुल्क अर्जित भूमि के मामलों को छोड़कर यह अर्जन की औसत लागत पर मूल्य दर्शाया गया है।
(x) संयुक्त स्थिर आस्तियों के संबंध में ऐसी आस्तियों में भाविप्रा के जितने हिस्से को लागत मूल्य के अनुसार लेखाकृत किया गया है तथा तदनुसार मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है।
(xi) पूंजीगत परियोजनाऐं देख रहे विशिष्ट परियोजना प्रभाग के प्रत्यक्ष राजस्व व्यय को कार्यों की समापन लागत के साथ पूंजीगत किया गया है।
(xii) भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभकारी साफ्टवेयर जैसी अमूर्त आस्तियों को पूंजीगत करते हुए 5 वर्षो की अवधि के लिए परिशोधित किया गया है।

3. निवेश

दीर्घावधि निवेश लागत के अनुसार है।

4. मूल्यह्रास

(i) मूल्यह्रास का प्रावधान स्थिर आस्ति अनुसूची में उल्लिखित दरों के अनुसार स्ट्रेट लाइन पद्धति से किया गया है।
(ii) वर्ष के दौरान किसी भी समय स्थिर आस्तियों में की गई वृद्धि पर मूल्यह्रास को पूरी अवधि के लिए हिसाब में लिया गया है।
(iii) स्थिर आस्ति के वर्ष के दौरान किए गए निपटान पर मूल्यह्रास नहीं लिया गया है।

5. देनदार

सरकारी विभागों के अतिरिक्त पार्टियों से 2 वर्षों से भी अधिक पुराने वसूली योग्य ऋण को संदिग्ध ऋण माना गया है तथा दिखाया गया है। माध्यस्थम/मुकदमेबाजी/विवादों से संबंधित मामलों में ऋण की अवधि के कुछ भी होने पर लेखों में आवश्यक प्रावधान किया गया है। उपलब्ध जमानत जमा पर संदिग्ध ऋणों का प्रावधान करते समय विचार नहीं किया गया है।

6. भंडार/स्पेयर

(i) वर्ष के दौरान उपभोग किए गए भण्डार/स्पेयर को राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित किया गया है।
(ii) वर्ष के अंत में भण्डार (5000 तथा उससे कम की इकाई लागत वाले भंडार/स्पेयर के अतिरिक्त) प्राप्ति की तारीख से 5 वर्षो की अवधि के लिए एफआईएफओ आधार पर लागत मूल्य पर मूल्यांकित है इसके पश्चात् मूल्यांकन इस प्रकार किया गया है:–

छठे वर्ष में	–	लागत का 70 प्रतिशत
सातवें वर्ष में	–	लागत का 40 प्रतिशत
आठवें वर्ष में	–	लागत का 10 प्रतिशत

(iii) 01.04.2005 को उपलब्ध व अनुप्रयुक्त भण्डार/स्पेयर को लागत के 10 प्रतिशत पर मूल्यांकित किया गया है।

7. अनुदान तथा सब्सिडी

सरकार द्वारा अनुमोदित करार के तहत आस्तियों के अधिग्रहण हेतु सरकार तथा विदेशी वित्तीय संस्थानों से अनुदान/आर्थिक सहायता के रुप में प्राप्त हुई राशियों को पूंजी आरक्षित कोष में दर्शाया गया है। मूल्यह्रास योग्य आस्तियों के प्रति प्राप्त अनुदान की राशि पर समानुपातिक मूल्यह्रास ऐसी आस्तियों के उपयोगी जीवनावधि के लिए आय के रुप में माना गया है।

8. विदेशी मुद्रा का लेन–देन

(i) विदेशी मुद्रा की, लेन–देन की तारीख पर विद्यमान विनिमय दर पर गणना की गई है।
(ii) तुलनपत्र की तिथि को विदेशी मुद्रा में आस्तियों और ऋण/अन्य देयताओं का पुनर्निर्धारण वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर के आधार पर दर्शाया गया है सिवाय एक्सचेंज अर्नर फारेन करेन्सी (ईईएफसी) लेखों में शेष को छोड़कर जिसे रिजर्व बैंक द्वारा ऐसे लेखों के लिए निर्धारित दरों के अधीन लेखा में शामिल किया गया है।

9. विशेष मरम्मत

विमानपथों, टैक्सीपथों और एप्रनों आदि पर उनके पेवमेंट क्लासिफिकेशन नम्बर (पीसीएन) मूल्य को मूल स्तर पर लाने के लिए विशेष मरम्मत के कार्यों पर जो खर्च किया जाता है उसे राजस्व व्यय के रुप में माना जाता है।

10. राजस्व रेकागनिशन

(i) राजस्व को अक्रुवल आधार पर प्रदत्त सेवाओं के रुप में माना गया है तथा यह सेवाकर के उपरांत शुद्ध राशि है।
(ii) बिल उस समय जारी किए जाते है जब इनके तथा अंततः वसूली के संबंध में कोई विशेष संशय न हो।
(iii) कानूनी विवादों/पीपीई अधिनियम, देरी से किए गए भुगतानों पर ब्याज, कार्गो विलंब शुल्क (एयरलाइनों/एजेंसियों के प्रति जारी बिलों के अतिरिक्त) बीमा दावे, स्टाफ अग्रिमों पर ब्याज आदि जैसे मामलों की प्राप्ति के आधार पर गणना की गई है।

11. आयकर

आयकर के प्रावधान को आयकर आयुक्त (अपील) के आदेश के आधार पर अग्रिम कर के रुप में समायोजित किया गया है।

12. अनुषंगी लाभकर (फ्रिन्ज बेनेफिट टैक्स)

अनुषंगी लाभकर, आयकर अधिनियम, 1961 के अधीन पारिभाषित अनुषंगी लाभकर की सीमा के भीतर व्ययों पर वर्तमान लागू दरों पर निर्धारित है।

13. आस्थगित कर

लेखा पुस्तिका तथा कर योग्य लाभ के बीच समय अन्तराल के परिणामस्वरुप आस्थगित कर को तुलन पत्र की तारीख से लागू किया अथवा मूलभूत रुप में लागू कर दरों तथा कानूनों के प्रयोग से लेखा में शामिल किया गया है। आस्थगित कर आस्ति निर्धारित सीमा तक ही आगे ले जाई गई है जहां तक इसके भविष्य में प्राप्ति की पर्याप्त संभावनाएं हो।

14. आस्तियों की क्षति

यदि तुलन पत्र में आंतरिक/बाह्य कारणों पर आधारित कोई कमी दर्शाए जाने पर प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर राशि की समीक्षा की गई है। तुलन पत्र की तारीख पर आस्तियों की कैरींग राशि की समीक्षा की जाती है तथा कैरींग राशि वसूली योग्य राशि से अधिक होने पर आस्तियों को क्षति के रुप में दिखाया जाता है।

15. सेवा निवृत्ति लाभ

ग्रेच्युटी, अर्जित छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी, सेवा निवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ व समाधान लाभ के लिए प्रावधान एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर किया गया है ।

16. अन्य

(i) हथियारों सहित सीआईएसएफ पर किया गया व्यय, राजस्व व्यय के रुप में प्रभारित है।
(ii) प्राधिकरण द्वारा किए गए निक्षिप्त कार्यों के संबंध में विभागीय प्रभारों के रुप में उपार्जित आय की राशि को धनराशि प्राप्त होने अथवा अंतिम दावा प्रस्तुत किए जाने पर लेखों में दर्ज किया जाता है।
(iii) ग्रेच्युटी अर्जित छुट्टी व सेवा निवृत कर्मचारियों सहित कर्मचारियों के चिकित्सा लाभ के लिए प्रावधान एक्च्यूरियल वैल्यूएशन के आधार पर किया गया है।
(iv) तीन वर्षों से अधिक ई एम डी/सुरक्षा निक्षेप जिनका दावा नहीं किया गया है उन्हें विविध आय के रुप में माना गया है।

	एम. सी. किशोर		सतीश सी. छतवाल	के. रामलिंगम
स्थान : नई दिल्ली	(एम.सी. किशोर)	(अजित दुबे)	(सतीश सी. छतवाल)	(के. रामलिंगम)
दिनांक : 05.07.2008	कार्यपालक निदेशक (निगमित कार्य) एवं कम्पनी सचिव	कार्यपालक निदेशक (वित्त एवं लेखा)	सदस्य (वित्त)	अध्यक्ष

अनुलग्नक-"वी"

सेगमेंट इंफारमेशन

(लाख रुपए में)

क्र. सं.	क्षेत्र	राजस्व		व्यय		अंशदान/ अधिशेष	
		2007-08	2006-07	2007-08	2006-07	2007-08	2006-07
1.	उत्तरी क्षेत्र	**99,566.59**	88,610.50	**74,454.41**	64,088.23	**25,112.19**	24,522.27
2.	पश्चिमी क्षेत्र	**1,15,051.95**	1,05,460.16	**81,145.73**	67,735.28	**33,906.22**	37,724.88
3.	दक्षिणी क्षेत्र	**1,53 ,859.17**	1,29,549.81	**88,781.09**	85,840.05	**65,078.08**	43,709.76
4.	पूर्वी क्षेत्र	**52,803.70**	43,161.93	**46,124.23**	46,713.40	**6,679.48**	–3,551.47
5.	उत्तर–पूर्वी क्षेत्र	**7,372.50**	5,372.85	**22,194.93**	17,426.79	**–14,822.44**	–12,053.94
6.	क्षे.ले.ए., एसएपी	**266.66**	468.22	**8,033.10**	4,833.79	**–7,766.43**	–4,365.57
	योग	**4,28,920.57**	3,72,623.48	**3,20,733.49**	2,86,637.54	**1,08,187.10**	85,985.94

31 मार्च, 2008 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट

हमने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994) की धारा 28(2) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण) नियम, 2008 (भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम, 2003) के अधीन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च, 2008 की संलग्न बैलेंस शीट तथा उस तिथि को समाप्त हुए वर्ष के लाभ एवं हानि लेखे की लेखा परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणों में 18 लेखा इकाईयों के लेखे शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी प्राधिकरण के प्रबंधन की है। हमारी जिम्मेदारी अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर विचार प्रकट करने की है।

हमने अपनी लेखा परीक्षा, भारत में सामान्यतः मान्य लेखा परीक्षा प्रतिमानों के अनुसार की है। इन प्रतिमानों के अंतर्गत यह अपेक्षा की जाती है कि हम अपनी लेखा परीक्षा को इस प्रकार से सुनियोजित एवं निष्पादित करें जिससे कि इस प्रकार का युक्ति युक्त आश्वासन लिया जा सके कि इन वित्तीय विवरणों में किसी प्रकार के गलत तथ्य तो नहीं दिए गए हैं। लेखा परीक्षा में प्रयोगमूलक आधार पर वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों तथा दिए गए विवरणों के समर्थन में दिए गए प्रमाणों की परीक्षा की जानी है। लेखा परीक्षा में प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों का मूल्यांकन करना एवं प्रबंधन द्वारा दर्शाए गए महत्वपूर्ण आकलनों का मूल्यांकन और साथ ही साथ वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाना भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमने अपनी लेखा परीक्षा में युक्तिसंगत आधार पर अपना मत व्यक्त किया है। अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :–

(i) हमारी लेखा परीक्षा के उद्देश्य में हमारी पूर्ण जानकारी और विश्वास के अनुसार जो सूचना तथा स्पष्टीकरण आवश्यक थे, वे सभी हमने प्राप्त कर लिए हैं;

(ii) इस रिपोर्ट में जो बैलेंस शीट तथा लाभ व हानि लेखा प्रस्तुत किए गए हैं, उन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

अधिनियम, 1994 की धारा 41 की उपधारा (2) के खंड (छ) तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण नियम 2008 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए प्रपत्र में तैयार किया गया है।

(iii) हमारी राय में जहां तक हमारे द्वारा इन लेखा बहीखातों की परीक्षा करने से प्रतीत होता है, प्राधिकरण द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम 1994 की धारा 28(1) के अंतर्गत बताई गई आवश्यकता के अनुसार लेखा बहीखातों एवं अन्य प्रासंगिक रिकॉर्डों को सही रूप में तैयार करके रखा गया है, सिवाय इसके कि :–

क. सामान्य

1. कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्टों के संबंध में प्राधिकरण के लेखों में दर्शाई गई राशि का ट्रस्टों की लेखा पुस्तकों की शेष राशि से सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि प्राधिकरण के लेखे के बंद होने के समय तक ट्रस्ट के वर्ष 2007–08 के खाते को अंतिम रुप नहीं दिया गया था।

ख. बैलेंस शीट

2. **चालू देयताएं एवं प्रावधानः**

चालू देयताएं–अनुसूची–डी–2344.42 करोड़ रुपए

इस राशि को 29.57 करोड़ रुपए कम बताया गया है क्योंकि निगम कर, क्षतिपूर्ति का भुगतान किए गए कार्य की लागत तथा अन्य देयताओं के उत्पन्न न होने के प्रति देयताओं को शामिल नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप, लाभ उस राशि से अधिक बताया गया है।

3. **स्थिर आस्तियाँ**

स्थिर आस्तियाँ (सकल ब्लाक)–7547.59 करोड़ रुपए

इस राशि को मदों के अभी तक प्रगतिशील होने परन्तु वर्ष के दौरान पूँजीकृत होने के कारण 20.18 करोड़ रुपए अधिक बताया गया है। परिणामस्वरुप प्रगतिशील पूँजीगत कार्य (सी डब्ल्यू आई. पी) व लाभ को क्रमशः 20.18 करोड़ रुपए तथा 2.48 करोड़ रुपए कम तथा मूल्यह्रास को 2.48 करोड़ रुपए अधिक बताया गया है।

4. **चालू आस्तियाँ**

भंडार और स्पेयर्स : 59.83 करोड़ रुपए

इस राशि के स्पेयर्स की वस्तु–सूची (इन्वेंटरी) के रुप में गणना न (नान एकाउंटल) होने के कारण 1.39 करोड़ रुपए कम बताया गया है। इसके परिणाम स्वरुप वर्ष के दौरान लाभ को भी इस राशि से कम बताया गया है।

(ग) लाभ व हानि लेखा

5. **पूर्व अवधि समायोजन (शुद्ध) – अनुसूची क्यू – 16.60 करोड़ रुपए (आय)**

i) पूर्व अवधि मूल्यह्रास की गणना न (नान एकाउंटल) होने के कारण इस राशि को 77.44 लाख रुपए अधिक बताया गया है।

ii) मूल्यह्रास (22.17 लाख रुपए) तथा कार्गो आय (80.85 लाख रुपए) संबंधी पूर्व अवधि की मदों को चालू वर्ष की आय के रुप में अंकित करने के कारण इस राशि को 1.03 करोड़ रुपए कम बताया गया है। वर्ष के लिए शुद्ध लाभ को भी 22.17 लाख रुपए कम बताया गया है।

घ) आकस्मिक देयताएं – अनुसूची एस–1248.26 करोड़ रुपए

6. (i) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा चार्ज किया गया पैनल ब्याज, नगर पंचायत, राजासांसी द्वारा मांगे गए आवास कर, ठेकेदार के दावे, भूमि के विकास संबंधी दावों और भूमि क्षतिपूर्ति मामलों के संबंध में किए गए दावों के कारण इसे 12.17 करोड़ रुपए कम करके बताया गया है।

(ii) माध्यस्थ द्वारा निरस्त किए गए मामलों का समायोजन न करने, विदेशी मुद्रा विनिमय की गलत दर अपनाने, आकस्मिक देयता की वापसी तथा न्यायालय द्वारा अस्वीकृत किए गए दावे के कारण इस राशि को 19.58 करोड़ रुपए अधिक बताया गया है।

ङ०) लेखों के भाग के रुप में टिप्पणियां – अनुसूची–टी

7. (i) लेखों के भाग के रूप में टिप्पणियां (अनुसूची टी) की टिप्पणी सं. 2 अपूर्ण है, क्योंकि इसके अधीन प्राधिकरण के कब्जे वाला वह भूमि क्षेत्र नहीं आता है जिसका पट्टा विलेख प्राधिकरण के नाम में निष्पादित नहीं किया गया है। जाँच करने पर पता चला है कि :–

- 12 हवाई अड्डों के संबंध में 6909.41 एकड़ भूमि के पट्टाविलेख प्राधिकरण के नाम में निष्पादित नहीं किए गए थे।

- 7 हवाई अड्डों पर 1558.73 एकड़ भूमि के लिए भूमि रिकार्ड/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं थे।
- टिप्पणी अतिक्रमण की गई भूमि के क्षेत्रफल को सही रूप में नहीं दर्शाती है क्योंकि इसमें 12 हवाई अड्डों पर अतिक्रमण की 121.657 एकड़ भूमि को शामिल नहीं किया गया है।
- फ्री होल्ड भूमि में, पंतनगर में हवाई अड्डा विकसित करने के लिए उत्तराखण्ड राज्य सरकार से निःशुल्क मिली 176 एकड़ भूमि और भटिंडा में 11.98 एकड़, भूमि को दर्शाया नहीं गया है।

(ii) विज्ञापन के लिए स्थान हेतु सेवा कर और ब्याज के रुप में सेवा कर आयुक्त से वसूले जाने योग्य दर्शाई गई 10.40 करोड़ रुपए की राशि, जिसके संबंध में वसूली हेतु अंतिम निर्णय केन्द्रीय उत्पाद सेवा कर अपील अधिकरण (सी ई एस टी ए टी) के अधीन लंबित है, इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया है।

(iii) टिप्पणी सं. 14 (ii) के अनुसार अग्रिमों/ग्राहक लेखों/देयताओं आदि के बकायों का पुष्टिकरण और समाधान किया जाना है। चार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी एस यू) की जाँच से पता चला है कि प्राधिकरण के खातों में दर्शायी गई शेष राशियों की न तो इन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा पुष्टि की गई थी और न ही इन्हें देय राशि में समाहित किया गया। प्राधिकरण के खाते में देय के रुप में दर्शायी गई 498.76 करोड़ रुपए की कुल धनराशि (इंडियन एयरलाइंस[1] 447.63 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड 23.45 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 10.19 करोड़ रुपए तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम 17.49 करोड़ रुपए) के लिए इन कम्पनियों ने तदनुरुपी शेष 454.99 करोड़ रुपए (इंडियन एयरलाइंस 338.30 करोड़ रुपए, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड 63.11 करोड़ रुपए, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 49.71 करोड़ रुपए तथा भारतीय पर्यटन विकास निगम 3.87 करोड़ रुपए) दर्शाया था। इस कारण से प्राधिकरण के लेखों पर यदि कोई प्रभाव पड़ा है तो वह अनिश्चित है।

(iv) इसमें गैर–यातायात राजस्व पर सेवा कर की उपयुक्तता के लिए प्राधिकरण तथा सेवा कर विभाग के मध्य असहमति थी। प्राधिकरण द्वारा सितम्बर, 2004 से प्रदान की गई सेवाओं के लिए सेवा कर लाभार्थियों हेतु सेवा कर बिलों की उगाही देर से मार्च 2006 व उसके बाद की गई थी परन्तु उनमें से अधिकांश पार्टियों ने राशि का भुगतान नहीं किया। परिणामस्वरुप भुगतान किए जाने वाले ऐसे सेवाकर के रुप में 55.04 करोड़ रुपए की वसूली योग्य धनराशि अनेक देनदारों के ऊपर बकाया थी पर इसकी वसूली नहीं हो पाई।

(v) इन तथ्यों का कि इंडियन एयरलाइंस व एयर इंडिया[2] से ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं पर देय सकल टर्नओवर रॉयल्टी के 5 प्रतिशत के लिए बिलों की उगाही वर्ष 1998–99 से नहीं की गई है तथा इंडियन एयरलाइंस लिमिटेड ने इस मामले को माध्यस्थम में उठाया है, खुलासा नहीं किया गया है।

उपर्युक्त ख एवं ग टिप्पणियों को कुल संचित लाभ से 26.25 करोड़ रुपए अधिक करके आंका गया है।

(iv) उपर्युक्त अनुच्छेदों में किए अपने निरीक्षण के आधार पर हम यह रिपोर्ट देते हैं कि इस रिपोर्ट के माध्यम से बनाई गई बैलेंस शीट तथा लाभ–हानि खाते, लेखा पुस्तकों के अनुरुप हैं।

(v) हमारी राय में एवं हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण को लेखा नीति और लेखों पर टिप्पणी के साथ पढ़ा जाए तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के उपबंध–1 में निर्दिष्ट अन्य मामलों और उपर्युक्त निर्दिष्ट महत्वपूर्ण मामलों के अनुसार, जो भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धान्तों के अनुरुप स्पष्टतः सही एवं स्पष्ट दृष्टिकोण प्रकट करता है।

(क) जहां तक बैलेंस शीट का संबंध है, वह प्राधिकरण के 31 मार्च, 2008 के क्रियाकलापों से संबंधित है तथा

(ख) जहां तक लाभ–हानि लेखों का संबंध है वर्ष की समाप्ति की तारीख को प्राधिकरण का लाभ दर्शाता है।

(बिरेन्द्र कुमार)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
तथा पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड–I
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 27 अक्तूबर, 2008

1. अब भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड
2. अब भारतीय राष्ट्रीय विमानन कंपनी लिमिटेड

लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुलग्नक-I

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

आंतरिक लेखा परीक्षा का स्वरूप, विस्तार तथा उसकी कवरेज अवधि संगठन के आकार के अनुरूप नहीं है। हालांकि स्थानीय लेखा परीक्षाओं के संबंध में पिछले वर्ष की तुलना में इस विभाग के कार्य में थोड़ा सुधार था, जोखिम क्षेत्रों की पहचान/परिशोधन करना और प्राधिकरण की नियमित कार्य प्रणाली में सक्रिय योगदान के संबंध में और अधिक सुधार की आवश्यकता है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

(i) 13 स्टेशनों पर स्थिर आस्ति रजिस्टरों के अनुचित रख–रखाव (ii) त्रुटिपूर्ण इन्वेंटरी मूल्यांकन, भूमि संबंधी रिकार्डों का त्रुटिपूर्ण रख–रखाव और (iii) देनदारों/प्राप्ति योग्य लेखों में निहित अधिशेष की पुष्टि/समाधान नहीं होना, बकाया देय राशियों की वसूली की अपर्याप्त मॉनीटरिंग आदि के संबंध में कमियां पाई गईं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को और सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

3. स्थिर आस्तियों का वास्तविक सत्यापन प्रणाली :

5 स्टेशनों पर स्थिर आस्तियों का वास्तविक सत्यापन पूरा नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त 10 स्टेशनों पर वास्तविक सत्यापन के दौरान पाई गई त्रुटियों/कमियों के समाधान को कार्यान्वित नहीं किया गया।

4. वस्तुसूची (इन्वेंटरी) की वास्तविक सत्यापन प्रणाली :

वर्ष के अंत में वास्तविक सत्यापन किया गया था किन्तु चार स्टेशनों पर वस्तुसूची (इन्वेंटरी) के मूल्यांकन हेतु अपनाई गई प्रणाली त्रुटिपुर्ण थी परिणामतः स्टॉक को कम करके दिखाया गया।

5. सांविधिक देय के भुगतान में नियमितता :

प्राधिकरण अविवादित सांविधिक बकायों के भुगतान में सामान्यतः नियमित रहा है। हालांकि गैर–यातायात राजस्व पर सेवाकर प्राधिकारियों के साथ असहमति थी जिसके परिणामस्वरुप सेवाकर की उगाही तथा उसे जमा करने में देर हुई। इसके लिए सेवाकर प्राधिकारियों ने किए गए भुगतान में से 3.62 करोड़ रुपए के ब्याज की वसूली कर ली। 1999–2000 से 2007–08 की अवधि के दौरान कैजुअल वर्कर के भविष्यनिधि अंशदान के रुप में 50.53 लाख रुपए की कटौती की गई तथा प्रबंधन द्वारा समान राशि का अंशदान उपयुक्त प्राधिकारियों से लेखा परीक्षा में जमा नहीं कराया गया।

प्रस्तावित रडार कवरेज

मौजूदा एएसआर/एमएसएसआर
1. दिल्ली
2. मुम्बई
3. चेन्नई
4. कोलकाता
5. अहमदाबाद
6. हैदराबाद
7. गुवाहाटी
8. त्रिवेन्द्रम
9. बंगलौर

मौजूदा एमएसएसआर केवल
1. वाराणसी
2. नागपुर
3. मंगलौर
4. बेहरामपुर

प्रस्तावित एएसआर/एमएसएसआर
1. कोचीन
2. अमृतसर

प्रस्तावित एमएसएसआर केवल
1. बेल्लारी
2. भोपाल
3. झारसुगुडा
4. जोधपुर
5. पोरबन्दर
6. रायगंज
7. विज़ाग

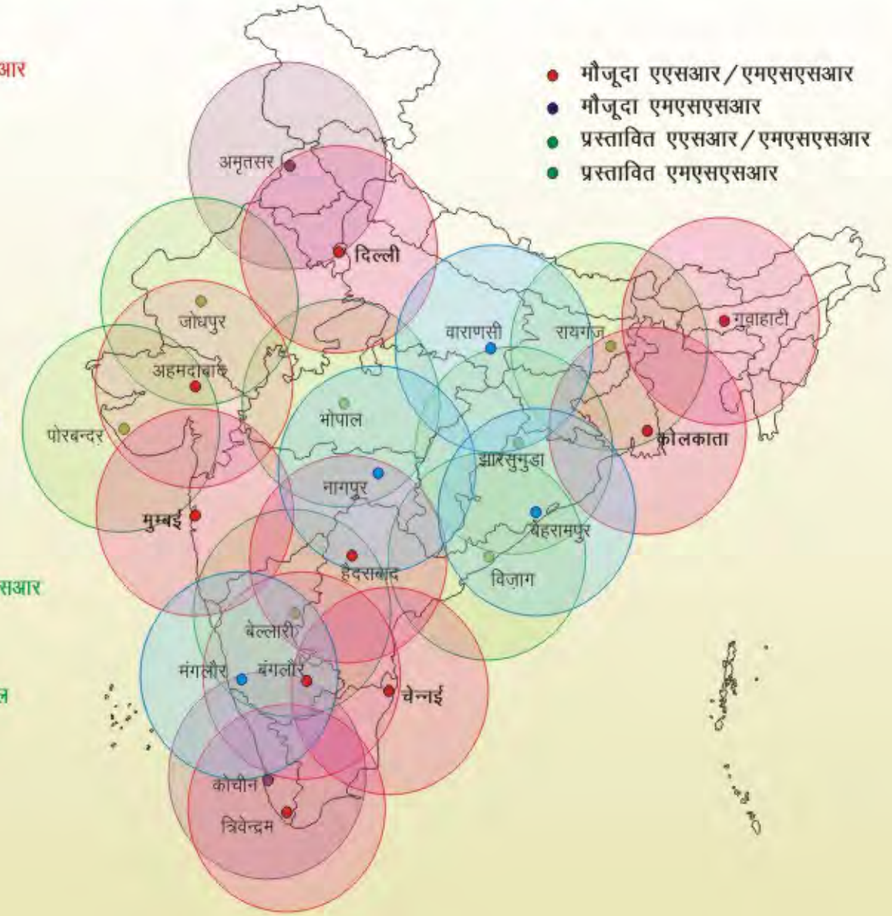

ध्येय

"विमान यातायात सेवाओं एवं हवाई अड्डा प्रबंधन में नेतृत्व करते हुए विश्वस्तरीय संगठन बनना एवं 2016 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत को एक प्रमुख केन्द्र बनाना"